श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय उपसभापति महोदय, उसके साथ-ही-साथ हम industrial sector में भी ज्यादा-से-ज्यादा जो green fuel है, उसको प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद। डा. अमी याज्ञिक जी। ...(**व्यवधान**)...

DR. AMEE YAJNIK: Sir, I would like to ask the hon. Minister that post the 26th Conference of Parties, is the Government planning to have an enhanced measure package to see that the carbon intensive sectors, the transport sector, the industry sector, especially the coal based power plants are going to be controlled and the targets to be met?

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, COP-26 के अंतर्गत भारत के जिन पंचामृत को माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषित किया है, उनमें हमने यह लक्ष्य रखा है कि भारत वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले जो लक्ष्य तय किए थे कि भारत 40 प्रतिशत....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, Question Hour is over.The House stands adjourned for lunch till 2.00 p.m.

[*Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise*]

The House then adjourned at one of the clock.

The House reassembled at two minutes past two of the clock,
[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA) *in the Chair.*]

GOVERNMENT BILL

The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will now take up the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021. Dr. Mansukh Mandaviya to move the Bill.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): There is one amendment by Shri John Brittas for reference of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of the Rajya Sabha. The Member may move this amendment at this stage without any speech. Shri John Brittas. Not present. It is not moved. Motion for consideration of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill, 2021 is now open for discussion. Hon. Minister, would you like to speak?

डा. मनसुख मांडविया: उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में इंडिया के लिए फार्मा सेक्टर एक डेवलप्ड सेक्टर हो चुका है। इंडिया में दस हजार से ज्यादा फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं और फार्मा सेक्टर में वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इंडिया की कई कंपनीज़ हैं। भविष्य में फार्मा में रिसर्च हो और देश की requirement के अनुसार रिसर्च हो, यह बहुत आवश्यक है, इसीलिए हमारे यहाँ फार्मा सेक्टर में एजुकेशन और रिसर्च के लिए NIPER को स्थापित किया गया था। पहले NIPER, Mohali स्थापित किया गया था और बाद में छः और NIPER स्थापित किए गए, जो आज अच्छा काम कर रहे हैं। देश में प्रति वर्ष 300 से अधिक फार्मा कॉलेजेज़ और इंस्टीट्यूट्स का assessment होता है। उन 300 में से हमारे तीन-चार NIPER इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जिनमें कोई 20वें क्रम पर, कोई 25वें क्रम पर, कोई 3rd position पर तो कोई 1st position पर आ रहा है, लेकिन हमें उन्हें और strengthen करना है। समय के अनुसार उनमें रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, क्योंकि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स, उनकी गवर्निंग बॉडी, उनकी रचना कैसी है, इसी तरह से वह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च बॉडी है, इसलिए यह भी आवश्यक है कि उसकी रचना भी ऐसी ही हो। उसमें सभी को प्रतिनिधित्व मिले और सारी नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बॉडीज़ में synergy कैसे क्रिएट होगी, यह भी हमारा एक उद्देश्य था।

दूसरी बात, आज NIPER में केवल हायर एजुकेशन की व्यवस्था है, जिसमें हम पीजी कोर्सेज़ देते हैं। पीजी कोर्स के अलावा, हम उसमें बाकी कोर्सेज़ भी चालू करें, यूजी कोर्स चलाएं, कई other courses भी चालू करें। जैसे-academia और institute के बीच में linkage बने, उसका व्याप और बढ़े, लोग उसका उपयोग कर सकें, इंडस्ट्रीज़ उसका उपयोग कर सकें और इंडस्ट्रीज़ को उससे सपोर्ट भी मिले।

दूसरा, ऐसी भी स्थिति होती है कि अगर कोई छोटी इंडस्ट्री है और वह फार्मा में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तथा उसकी कोई प्रॉब्लम है, जिसको रिज़ॉल्व करना है, तो हम उसे NIPER के साथ लिंक कर सकते हैं। जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके पास तो

रिसर्च सेंटर होता है, लेकिन जो छोटी कंपनी है, छोटा मैन्युफैक्चरर है, एमएसएमई है, उसके पास रिसर्च सेंटर नहीं होता, इसलिए NIPER के साथ लिंक होकर वे वहाँ रिसर्च करा सकती हैं। इसके दो फायदे होंगे - एक, NIPER में रिसर्च भी होगी, बच्चों को प्रोजेक्ट भी मिलेगा, बच्चों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और इसके साथ-साथ उनके इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व होंगे।

इन सारे aspects को लेकर, हम इसमें तीन-चार अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। मेरी सम्माननीय सदन से यह अपेक्षा है कि वह इसके ऊपर विस्तार से अपनी राय दे और इसको पारित करे।

The question was proposed.

श्री नीरज डांगी (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021, National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 में संशोधन का प्रयास है। 1998 के ऐक्ट के अंतर्गत, पंजाब में राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी और उसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, Institute of National Importance घोषित किया गया था। यह बिल basically छः अन्य National Institutes of Pharmaceutical Education and Research, जो कि अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में स्थित हैं, को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। इसके अतिरिक्त, यह बिल एक काउंसिल की स्थापना का प्रावधान करता है, जो कि बिल के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ फार्मास्युटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान का विकास हो तथा उनका मापदंड बरकरार हो, यह सुनिश्चित करता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब हम मेडिकल साइंस की चर्चा करते हैं, तो यह बात सामने आती है कि देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के अंदर मेडिकल साइंस को रेगुलेट करने का काम फार्मा कंपनियाँ करती हैं। ऐसे में, बड़े दुःख की बात है कि फार्मास्युटिकल रिसर्च का कार्य भारत के बजाय अन्य विकासशील और विकसित देशों के अंदर ज्यादा प्रभावी ढंग से निष्पादित हो रहा है। अतः भारत में भी फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह संशोधन बिल लाया जाना निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसमें जितनी भी कमियाँ हैं, उनको दुरुस्त किया जाना भी आवश्यक है और देश को सही मायने में इस बिल का लाभ मिल सके, यह भी सुनिश्चित हो।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में इस संशोधन बिल हेतु अपने कुछ सुझाव रखना चाहूँगा, जिससे इस संशोधन बिल का उद्देश्य सफल हो सके। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की 23वीं रिपोर्ट के अनुसार, NIPER अधिनियम के तहत सात संस्थानों में संयुक्त वार्षिक intake क्षमता केवल 1,185 है, जिनमें से 1,000 स्नातकोत्तर छात्र हैं और 185 पीएचडी छात्र हैं। हमारे देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए NIPERs की संयुक्त वार्षिक intake क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फार्मास्युटिकल शिक्षा और रिसर्च का लाभ प्राप्त हो सके। भारत को विश्व की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है और दुनिया भर में लाखों लोगों को सस्ती और कम लागत वाली जेनेरिक दवाइयों

की आपूर्ति करने का कार्य भी भारत करता है, लेकिन इसके बावजूद इन संस्थानों में इतनी कम सीटें हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर पुनर्निर्णय होना चाहिए। भारतीय दवा क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान माने जाने वाले सातों संस्थानों में वर्तमान सीटें पर्याप्त नहीं हैं, इन संस्थानों में इन सीटों को बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। भले ही सभी NIPERs को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया हो, लेकिन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, NIPERs के बीच infrastructure, syllabus, campus area और academic and research output में भारी असमानताएँ मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में हर मापदंड के लिए मानकों को स्थापित किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक NIPER राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के standards को पूरा कर सके।

अगर हम Board of Governors में देखते हैं, तो पाते हैं कि 1998 के ऐक्ट के अनुसार, BoG की कुल सदस्य संख्या 23 है। केन्द्र सरकार द्वारा तैयार संशोधन के अनुसार, NIPER में BoG की संख्या को 12 सदस्यों तक युक्तिसंगत बनाने का एक प्रयास किया गया है। साथ-ही, वर्ष 1998 के अधिनियम की धारा 4 (3) (एम) के तहत यह कहा गया है कि तीन प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होगा, जिसे आगन्तुक द्वारा पैनल में से नामित किया जाएगा। जबकि, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के ऐसे प्रतिनिधित्व को वर्ष 2021 के इस संशोधन बिल के अंदर से हटा दिया गया है। इस तरह की चूक पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कम-से-कम एक व्यक्ति को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए विधेयक में उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए, भले ही प्रस्तावित संख्या को बढ़ा कर 13 ही क्यों न कर दिया जाए। सामाजिक समावेश की दृष्टि से कम-से-कम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी एक पब्लिक पर्सन या सोशल वर्कर को बीओजी में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है और संस्थान में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी ऐसे समुदायों का समान प्रतिनिधित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सामाजिक समावेश भी संभव हो सकेगा।

बिल के अंतर्गत सभी संस्थानों की गतिविधियों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए काउंसिल की स्थापना का प्रयास किया गया है, जिससे pharmaceutical education and research का विकास तथा मानकों का रख-रखाव सुनिश्चित हो। बिल में प्रस्ताव है कि काउंसिल के सदस्यों के रूप में तीन सदस्यों, मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को शामिल किया जाए, परंतु काउंसिल में सदस्य के रूप में वे सांसद, जो नामित सदस्य होंगे, उन्हें मेडिकल या pharmaceutical क्षेत्र का पूर्ण अनुभव हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बिल में संशोधनों या उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों द्वारा यह अनिवार्य किया जाना चाहिए।

डायरेक्टर्स की नियुक्ति के संबंध में इस बिल में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् वे लोग डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर सकेंगे। जबकि NIPER का मॉडल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) के आधार पर किया गया है। ऐसे में इसके अंतर्गत काउंसिल भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही डायरेक्टर्स की नियुक्त करती है। NIPER में भी इसी तर्ज पर काउंसिल को भारत के राष्ट्रपति अनुमति दें और

इसके पश्चात् इनकी नियुक्ति काउंसिल द्वारा की जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए।

काउंसिल की स्थापना के तहत काउंसिल का संयोजन एवं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी पद केन्द्र सरकार या केन्द्र से संबंधित ही हैं, राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व council या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में राज्यों के लिए इन इंस्टीट्यूट्स द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कौन से कदम उनके पक्ष में हैं और कौन से कदम उनके प्रतिकूल हैं, यह राज्यों के लिए जान पाना नामुमकिन साबित होगा। ऐसे में आवश्यक है कि काउंसिल या गवर्निंग बॉडी में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी केन्द्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य के विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को भी council या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किया जाना चाहिए।

यद्यपि सात NIPER प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन सिर्फ पंजाब स्थित मोहाली NIPER ही स्थापित हुआ है, जिसका कैंपस बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। वर्ष 2012 से तमिलनाडु में मदुरै, राजस्थान में झालावाड़, महाराष्ट्र में नागपुर, छत्तीसगढ़ में नया रायपुर और कर्णाटक में बेंगलुरु में पांच NIPERs बनाने का प्रस्ताव लंबित है, परन्तु वित्त मंत्रालय के अंतर्गत Expenditure Finance Committee (EFC) ने NIPERs को स्थायी कैंपस बनाने के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं में उलझा कर रखा हुआ है, जो सर्वथा गलत है।

वर्ष 2015-16 के केन्द्रीय बजट भाषण में चार राज्यों में NIPERs स्थापित करने की घोषणा की गई थी, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। 26 मार्च, 2018 को Expenditure Finance Committee (EFC) ने चारों राज्यों में नव प्रस्तावित NIPERs की स्थापना के समेकित प्रस्ताव पर विचार किया और बाद में EFC ने NIPERs के स्थापना प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। Committee ने इस मामले को वर्ष 2020 में पांचवे वित्त आयोग की अवधि 2020 से 2025 के तहत समीक्षा के लिए EFC ने अनुशंसा की है।

माननीय उपसभापति महोदय, मेरा मानना है कि कोरोना महामारी के पश्चात् देश को यह समझ लेना चाहिए कि मेडिकल फील्ड और रिसर्च के अंदर हमें अत्यंत आवश्यकता है कि देश इसमें उत्कृष्ट कार्य करे और ऐसी स्थिति के अंदर देश के वित्त बजट को भी इस क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से सही रूप में उपयोग में लाया जाना चाहिए। ताकि हमारा देश ऐसी विकट परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर सके और लड़ने में सक्षम हो सके। मदुरै NIPER शुरू में वर्ष 2011 में स्वीकृत हुआ था और तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसकी स्थापना के लिए 116 एकड़ की भूमि भी आवंटित कर दी थी और इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया था। पिछले आठ वर्षों में इस बरखास्त प्रोजेक्ट पर किसी तरह की प्रोग्रेस नहीं हुई है। यह प्रोजेक्ट आठ वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। EFC को चाहिए वह मौजूदा NIPERs में सुविधाओं को अपग्रेड करने के अनुरोधों को प्राथमिकता के आधार पर मंज़ूरी दे, अन्यथा सरकार की घोषणा मात्र जुमला साबित होगी। केन्द्र सरकार विचार कर यह सुनिश्चित करे कि जिस प्रकार देश के हर राज्य में मेडिकल कॉलेज ऑफ एम्स स्थापित हुए हैं, उसी तरीके से देश के हर राज्य में National Institute of Pharmaceutical Education and Research स्थापित हों, ताकि राज्यों को सीधे तौर पर उनका लाभ प्राप्त हो सके। जब हम

स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी अत्यंत ही संवेदनशील हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि हम राजस्थान में NIPER की स्थापना की पहल करेंगे और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे, तो निश्चित रूप से वे एक क्षण गंवाए बिना नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन को तुरंत प्रभाव से स्वीकृति प्रदान करेंगे। मेरा मानना है कि अन्य राज्य भी इसी तरीके से ज़मीन आवंटन के लिए पीछे नहीं हटेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब National Institute of Pharmaceutical Education and Research की अन्य राज्यों में भी स्थापना की शुरुआत करें, तो शुरुआत राजस्थान से करें। राजस्थान में अति पिछड़े जिले पाली, सिरोही आदि का चयन किया जाना चाहिए, ताकि वहां पर विकास के साथ-साथ रोज़गार का नवसृजन भी हो सके, जो उस क्षेत्र की दरकार भी है। हम जब काउंसिल की बैठक की बात करते हैं, तो प्रस्तावित बिल में यह कहा गया है कि साल में कम-से-कम एक बार काउंसिल की बैठक होनी चाहिए। काउंसिल सभी NIPERs के बीच में समन्वय के लिए शीर्ष निकाय होगी। ऐसी स्थिति में प्रभावी समन्वय बनाने के लिए और NIPER अधिनियम के तहत संस्थानों के बीच में ज्ञान को साझा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए काउंसिल को वर्ष में एक से अधिक बार बैठना चाहिए। इस प्रावधान में संशोधन कर हर वर्ष कम-से-कम छह महीने में एक बार काउंसिल की बैठक अवश्य करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब हम निदेशकों और अन्य निकाय सदस्यों के Inter-NIPER स्थानान्तरण की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि NIPER संशोधन विधेयक, 2021 में निदेशकों और संकाय सदस्यों के Inter-NIPER स्थानान्तरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। निदेशकों और संकाय सदस्यों के Inter-NIPER स्थानान्तरण से विभिन्न NIPERs के बीच संपर्क बढ़ेगा और एक NIPER की प्रशासनिक और शैक्षणिक दक्षता को दूसरे में स्थानांतरित करने में मदद भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त समयबद्ध स्थानांतरण और संकायों के आदान-प्रदान से NIPER के संकायों और निदेशकों के बीच आपसी साझाकरण और सीखने में मदद मिलेगी। संशोधन विधेयक की धारा 33(ए) में कहा गया है कि एक संस्थान अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। ऐसे में इन प्रावधानों से संस्थानों के स्वायत्त कामकाज का उल्लंघन भी देखने को मिल सकता है, इसलिए सरकार को उन क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में निर्देश देगी और किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि संस्थानों की स्वायत्तता की स्थिति जस की तस रह सके और ये उच्च संस्थान देश में शिक्षा और अनुसंधान के विकास के लिए नीतियां बनाने और प्रभावी प्रशासन चलाने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन सुझावों के साथ-साथ एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा कि "शिक्षा को अंधविश्वास, घृणा और हिंसा से मुक्त और राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक एकता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण vehicle बनना चाहिए।" ये पंक्तियां, ये शब्द 2014 के संसदीय चुनाव के लिए भाजपा के घोषणापत्र में शामिल थे। अब सात साल बाद ऐसा लगता है कि या तो इन शब्दों का भाजपा के शब्दकोष के अंदर एक अलग ही अर्थ है या ये सब भी बाकी की तरह जुमले

थे। पिछले सात वर्षों में हमने देखा है कि शैक्षणिक संस्थाओं, जिनमें जेएनयू, एचसीयू, एफटीआईआई, आईआईटी, मद्रास और बीएचयू, बनारस पर सत्तावादी हमले होते रहे हैं, जिनका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्कृति को नष्ट करना मात्र है और असंतोष की हर आवाज को कुचलना इसका उद्देश्य है। जब हम शिक्षा क्षेत्र में एनडीए सरकार की सात वर्षों की उपलब्धि तलाश करने की बात सोचते हैं, तो एनडीए सरकार की कार्यशैली लोकतंत्र पर हमला मात्र साबित होती है।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Neeraji, you have one more speaker after you. You have got only three minutes left.

SHRI NEERAJ DANGI: Yes, Sir. I am just concluding within two minutes. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण, केंद्रीयकरण और सम्प्रदायकरण की नीतियों का आक्रामक रूप से अनुसरण किया है। यह पिछली यूपीए सरकार की नव-उदारवादी शैक्षिक नीतियों को समाप्त कर रहा है, जो सर्वथा गलत है और जिसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करना और निजी पूंजी के लिए अधिकतम लाभ के रास्ते बढ़ाना मात्र है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एनडीए सरकार ने फंड में कटौती कर विश्वविद्यालयों में शोध के मूल सिद्धांतों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। यूजीसी गजट नोटिफिकेशन 2015 के बाद जेएनयू और अन्य विश्वविद्यालयों में सीट कटौती के मामले ने अनुसंधान को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यह अनुसंधानों में अवसरों को कम करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति है। ...(**व्यवधान**)... अगर आप सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। अनुसंधान में अवसरों को कम करने के लिए यह एक स्पष्ट रणनीति है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में फैकल्टी की कमी है, जिसे पूरा किया जाना चाहिए। वहां पर अभी भी फैकल्टी के पद खाली पड़े हैं, जो अनुसंधान के अवसरों को कम करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में आज के हालात को ये चार पंक्तियां क्या खूब दर्शाती हैं। ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात सुनिए, आपको सब समझ में आएगा।

"राजा बोला रात है, रानी बोली रात है,
मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है,
यह सुबह-सुबह की बात है।"

ये पंक्तियां आज के हालात को और देश की परिस्थितियों को दर्शाती हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि कम-से-कम सदन में जब बिल पेश हो तो विपक्ष के सुझावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे 12 सांसद,

जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उनके सस्पेंशन को रिवोक करने का कार्य करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, चूंकि तीन बजे हैल्थ कमेटी की मीटिंग है, इसलिए मेरे अनुरोध को आपने स्वीकार कर लिया। मैं तीन मिनट में नहीं, बल्कि केवल दो मिनट में अपनी बात रख दूंगा। महोदय, मेरी एक-दो आशंकाएं हैं, क्योंकि इस बिल को मैंने देखा है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें सिर्फ तीन ही हैं। एक तो इन institutes को 'Institute of National Importance' का नाम देना और दूसरा है कि Board of Governors की नियुक्ति का प्रोसीजर क्या-क्या होगा और तीसरा है काउंसिल, जो उसकी सेन्ट्रल बॉडी है। मेरी आशंका यह है कि जब-जब किसी संस्था को 'Institute of National Importance' का नाम दिया गया, तब-तब उसमें ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया गया। मंत्री जी जब अपना जवाब दें, तो इसके बारे में बताएं - तब शायद मैं यहां उपस्थित न रहूं - कि क्या इसको यह नाम देने से भी लोगों को इसकी फैकल्टी में आने में या डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ में जो बच्चे पढ़ेंगे, उनके एडमिशन्स में ओबीसी और एससी, एसटी के रिज़र्वेशन को बनाए रखेंगे या खत्म कर देंगे?

दूसरी बात यह है कि आप जो यह काउंसिल बना रहे हैं, इसमें लगभग 22 से 24 लोग हैं, उसमें तीन एमपीज़, दो कुछ असोसिएशन वगैरह के लोग हैं, जो कि हटकर हैं और सारे केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, इनमें कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरीज़ हैं, कुछ उसके नॉमिनीज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो है, उसका नाम आपको लिखना चाहिए, वह तो कैमिकल्स और फर्टिलाइज़र है, पर हैल्थ तो नहीं है। उसमें या तो हैल्थ लिखिएगा या कैमिकल फर्टिलाइज़र लिखिएगा, इसका आपने कहीं भी ज़िक्र नहीं किया है, सम्भवतः आगे ये दवा वगैरह वाला आप हैल्थ मिनिस्ट्री में लेना चाहते हैं - तो इसे ले लें, तो ज्यादा अच्छा है। इनके पोर्टफोलियो आपके पास हैं, that is another thing, लेकिन अगर न हों, तब क्या होगा? उसमें यह कन्फ्यूज़न होता है कि कौन-से मंत्रालय का मंत्री उस Council का अध्यक्ष होगा, राज्य मंत्री उसका उपाध्यक्ष होगा। सिर्फ आपने उसमें administrative बात कही है और Council में जब इतने लोग हैं, तब मेरा सुझाव है कि कम-से-कम एक व्यक्ति उसमें आप ओबीसी का, एक व्यक्ति एस.सी. का और एक व्यक्ति एस.टी. का अवश्य रखें। आपने उसमें एक महिला को रखा है, आपने यह अच्छा काम किया है। लेकिन इन लोगों को तो Council में रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग कम-से-कम यह तो देखते रहेंगे कि नीचे जो पढ़ने वाले लोग हैं और जो फैकल्टी में आने वाले लोग हैं, उनके हितों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। जब इन वर्गों के लोगों के साथ अन्याय होता है, तब इनके संबंध में वहां पर कोई बोलता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो इनके हितों की रक्षा करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, मैं यहां पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ दो मिनट बोलने के लिए समय लिया था। मेरा सरकार से और आपसे यही अनुरोध है कि इन वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाए। इस बिल में आपने कहीं पर भी उद्देश्य नहीं लिखे हैं। सारे बिल्स के साथ, उन बिल्स को लाने के ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, लेकिन इस बिल में कहीं पर इसके उद्देश्यों को मेंशन नहीं किया

गया है। हमें लगा कि केवल आपका उद्देश्य यह है कि जो सातों संस्थाएं हैं, इनको national importance की संस्था बना दिया जाए। आप इन वर्गों का इस बिल में ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देश में बड़ी संख्या में पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग रहते हैं, आप इनका ख्याल रखिएगा। इनको तो कोई पूछता ही नहीं है। जब वैकेंसीज़ निकलती हैं तब आप देख लीजिए कि यू.जी.सी. और अन्य में इनकी कितनी वैकेंसीज़ भरी जाती हैं। ये कहीं पर नहीं हैं और कितनी वैकेंसीज़ भरी जाती हैं, इसको आप सब लोग जानते हैं। यहां पर माननीय भूपेन्द्र यादव जी बैठे हुए हैं। आप पता कीजिए कि इन वर्गों के लोगों की क्या स्थिति है? आप सरकार चला रहे हैं, आपको इनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (**डा. सस्मित पात्रा**): डा. अनिल जैन जी।

डा. अनिल जैन (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मोहाली में NIPER स्थापित था और यह 1998 के एक्ट से स्थापित हुआ था। उसके बाद 2007 में अमेंडमेंट हुआ और 2007 और 2008 में देश में छह NIPERs की स्थापना हुई, लेकिन इनमें से नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा केवल मोहाली को था। अब इस बिल के माध्यम से सातों NIPERs को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जा रहा है। यह उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए आवश्यक था, इसलिए सरकार का यह संशोधन सराहनीय है।

दूसरा, 15 मार्च, 2020 को जब यह बिल लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया। इत्तेफाक़ से उस स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर मैं भी हूं। वहां पर इस बिल पर सघन चर्चा हुई। उसके बाद फिर से यह बिल लाया गया है, जो पहले लोक सभा में पास हुआ है और अब राज्य सभा में विचारार्थ प्रस्तुत है। इस बिल के माध्यम से हैल्थ के क्षेत्र में - क्योंकि हम सबने कोरोना महामारी का दंश झेला है और इसको देखा है, हमारे भारत में सीमित संसाधन के बावजूद माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण देश में ही नहीं, अपितु दुनिया में हमने उदाहरणीय प्रगति प्राप्त की है। अभी तक हमारे देश में एक ही संस्थान नेशनल इंपॉर्टेंस का था, अब हम इन सातों संस्थानों को नेशनल इंपॉर्टेंस का बनाने जा रहे हैं। इसके लिए फंड, व्यवस्थाएं, करिकुलम और एडमिशन्स काउंसिल के माध्यम से संचालित होंगे, इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, 1998 के इस एक्ट में जो तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की संख्या है। पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पूरे देश भर से, जाने कहाँ-कहाँ से लोग रहते थे, लेकिन वे इसके लिए समय नहीं दे पाते थे। इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ भी थे। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की संख्या को सीमित करके 23 से 12 कर दिया गया है, जिससे इस इंस्टीट्यूट को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से सही प्रकार से संचालित किया जा सके। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि यह सुचारु रूप से भी चले और समाज के लिए, देश के

लिए, मेडिकल फील्ड के लिए, pharmaceutical industry के लिए इसका जो वांछित परिणाम है, वह तभी आ सकता है जब यह ठीक प्रकार से संचालित होगा, उसमें chaos नहीं होगा, इसलिए इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की संख्या को सीमित किया गया है।

उपसभाध्यक्ष जी, इस एक्ट के अमेंडमेंट में जो चौथी बात है, वह यह है कि इसमें एक council की स्थापना की गई है। देश में जिस प्रकार से आईआईटीज़ बने हैं और आईआईटीज़ की भी सैंट्रल काउंसिल है, उसी प्रकार से नाइपर्स के लिए भी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें सातों नाइपर्स को काउंसिल के माध्यम से जोड़कर इनकी गुणवत्ता को, इनकी कार्यशैली को, इनकी जो रिसर्च है, हम उसको किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए आईआईटीज़ की तर्ज़ पर यह काउंसिल बनाई गई है। माननीय प्रो. राम गोपाल यादव जी जो कह रहे थे, उस पर मुझे लगता है कि इसके उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं, हम इस प्रकार से pharmaceutical education को बढ़ावा दे सकते हैं, हम, to concentrate on courses leading to master's degree, doctoral and post-doctoral courses and research in pharmaceutical education बढ़ा सकते हैं। जब सातों नाइपर्स एक काउंसिल के द्वारा संचालित होंगे, तो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स और उनकी डिग्रियों का आवंटन ठीक प्रकार से हो सकता है। जो योग्य छात्र हैं, research scholars हैं, उनको Honorary awards और distinctions मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसमें टीचर्स का भी short courses के माध्यम से कैसे upgradation हो सके, pharmaceutical technologist और community hospital pharmacists and professionals का भी short courses के माध्यम से upgradation हो सके, वे अपडेट हो सकें, इसकी भी व्यवस्था रखी है।

उपसभाध्यक्ष जी, हम इस प्रकार दुनिया भर के literature को इन सातों नाइपर्स में research के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। भारत दुनिया में pharmaceutical industry में नेतृत्व करता दिख रहा है, लेकिन हमें research के मामले में यह मानना पड़ेगा कि अभी तक research-oriented व्यवस्थाएं नहीं थीं। Formulations बनते थे, industries develop हुईं, लेकिन हमें research में जो चाहिए था, हमने उतनी वांछित प्रगति नहीं की। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सातों इंस्टीट्यूट्स नेशनल इम्पॉर्टेंस के बने हैं। इनमें रिसर्च पर एम्फेसिस हो - हम रिसर्च के माध्यम से कह सकते हैं कि हम देश को स्वावलम्बी बना सकें, आत्मनिर्भर बना सकें और जब फार्मा की दृष्टि से भी भारत दुनिया का नेतृत्व करता दिख रहा है, जब दुनिया भर में भारत की मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ फार्मास्युटिकल्स में स्थापित हो रही हैं, तब उस समय ज्यादा आवश्यकता है कि हमारी रिसर्च मजबूत हो और हम रिसर्च के माध्यम से इस इंडस्ट्री में दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर न रहें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि कोई देश हमें आँख न दिखा सके।

उपसभाध्यक्ष जी, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी चीज़ एपीआई होता है। हम दुनिया के अन्य देशों पर एपीआई के लिए 80 प्रतिशत आश्रित रहते हैं, लेकिन यदि एपीआई के लिए हमारे यहाँ पर रिसर्च होगी, हमारे यहाँ डेवपलमेंट होगा, तो हम एपीआई अपने आप बनाएंगे। यदि हम एपीआई में स्वयं समर्थ होंगे, तो सही मायने में दुनिया का नेतृत्व कर सकेंगे, जैसे कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस कोविड काल में, इतनी महामारी के समय में भी हमने पचास से ज्यादा देशों को विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ पहुंचाई हैं। इसमें हमने दुनिया का

नेतृत्व किया और यह रिसर्च के कारण ही सम्भव हो सका है। अब हम देश में अपने ही एपीआईज़ विकसित करें। इसके लिए विभाग ने 51 एपीआईज़ निश्चित किए हैं, जिनमें हम एपीआईज़ विकसित करेंगे। हम NIPER की रिसर्च के माध्यम से और इंडस्ट्री के साथ मिलकर इन एपीआईज़ को डेवलप करेंगे। अगर हम एपीआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने यहां सस्ती दवाएं भी बना सकेंगे। इससे हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। एपीआई में सरकार ने पीएलआई के माध्यम से अगर कोई दूसरा देश सस्ती एपीआई देता है, तो भारत सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि उसमें जो डिफरैंस है, वह भारत सरकार पूरा करे, जिससे दुनिया के किसी भी देश से सस्ती एपीआई हमारे manufacturers को मिल सके। ऐसे ही intermediate compounds की बातें हैं। इस तरह से formulations के बाद तथा पूरी रिसर्च के बाद जब दवाई देने की बात आएगी तो वह दवा हम अपने देश के साथ-साथ दुनिया के गरीब देशों को ठीक प्रकार से दे पाएंगे, और आज दे भी रहे हैं, भारत ने यह नेतृत्व प्रदान किया है। मोहाली का जो इंस्टीट्यूट है, वह खाली हिन्दुस्तान के लिए ही नहीं, South-East Asian countries में, अफ्रीका जैसे देश में जाकर वहां नेतृत्व प्रदान किया है। हमारे देश के ये सातों इंस्टीट्यूट्स मिलकर काम करेंगे, इनकी क्षमता बढ़ेगी, कार्य-कुशलता बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से भारत का और इस इंडस्ट्री का मान भी बढ़ेगा, इस बिल में ऐसी व्यवस्था की गई है।

महोदय, अब तक रिसर्च के नाम पर क्या-क्या होता रहा है, मैं मेडिकल फील्ड से सम्बन्धित हूं इसलिए मैं इसकी ज्यादा विवेचना नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि रिसर्च के नाम पर खाली बातें ही हुई हैं, ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, रिसर्च पर emphasis दिया गया है। चाहे वह National Education Policy हो या रिसर्च के मामले में हो, सरकार द्वारा रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है और इसमें भी रिसर्च पर emphasis दिया गया है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए एपीआई को पीएलआई के माध्यम से दिए गए हैं कि किस प्रकार हम एपीआई विकसित कर सकते हैं, यह व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, let's maintain silence. ...*(Interruptions)*.... No cross talk, please. ...*(Interruptions)*.... Hon. Member is speaking. ...*(Interruptions)*....

डा. अनिल जैन : पहले आप सुन लीजिए, खाली बातें करने से ही काम नहीं चलता, सुनकर समझो, फिर बोलो, सिर्फ बोलते रहने से ही काम नहीं चलेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please address the Chair.

डा. अनिल जैन: उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में माननीय प्रधान मंत्री जी ने जन-औषधि केन्द्र खुलवाए। जन-औषधि केन्द्रों से देश में generic medicines देने का काम होता है। कुछ लोग कहेंगे कि पहले भी जन-औषधि केन्द्र थे। मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले देश में कुल मिलाकर

106 जन-औषधि केन्द्र थे और वहां पर सिर्फ 204 प्रकार की दवाएं मिलती थीं। आज देश में 8,500 जन-औषधि केन्द्र हैं, जो देश के गरीबों को सस्ती दवाएं मुहैया कराते हैं। इन केन्द्रों पर अब 2,400 से ज्यादा दवाएं मिल रही हैं और 204 प्रकार के सर्जिकल उत्पाद भी मिल रहे हैं। इसके अलावा 1,450 प्रकार की दवाओं का प्रतिदिन वितरण होता है और करीब 10 लाख से लेकर 15 लाख तक लोग इन दवाओं से लाभान्वित होते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर सस्ती दवाएं मिलती हैं।

मान्यवर, इतना ही नहीं, हमारे देश में जो generic medicines पैदा होती हैं, वे दवाएं दुनिया भर में जाती हैं। आज अमेरिका में 40 प्रतिशत generic medicines की आपूर्ति हिन्दुस्तान करता है। हमारी सरकार के आने से पहले देश में कुल दो प्रतिशत generic medicines उपयोग में आती थीं, लेकिन अब इसका दायरा आठ प्रतिशत तक हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, let's maintain silence. ...*(Interruptions)*.... Please, hon. Members...*(Interruptions)*.... Please, let us listen.

डा. अनिल जैन : मान्यवर, मैं रिसर्च की बात कहना चाहता हूं कि आज भारत वैक्सीनेशन की रिसर्च के मामले में दुनिया का सिरमौर बना हुआ है। हम गर्व से कह सकते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिस प्रकार के साधन मुहैया कराए हैं, जिस प्रकार का सपोर्ट वैज्ञानिकों को दिया है और जिस प्रकार की सहूलियतें कम्पनीज़ को दी हैं, उसके कारण भारत ने at par अपनी वैक्सीन दुनिया में पहली बार बनाई है। अब तक vaccination के मामले में भारत 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे रहता था। इन लोगों ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएँ दी थीं, उस समय तक क्या होता था?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You have one minute left. Please conclude.

डा. अनिल जैन : मैं conclude करता हूँ। मान्यवर, vaccination के क्षेत्र में मैं एक बात बता दूँ। दुनिया में जितनी प्रकार की vaccines हैं, killed वायरस की vaccine भारत में बनती है, अभी DNA की vaccine, ZyCoV की vaccine भारत में बनी है, RNA की vaccine भारत में बन गई है और sniff वाली vaccine भारत में बनी है। Vaccine के जितने माध्यम बनने वाले हैं, उनके लिए भारत ही अकेला देश है, जहाँ अब सब प्रकार की vaccines आने वाली हैं - यह देश भारत है और यह यहाँ की रिसर्च है। यह प्रधान मंत्री जी का सपना है कि हम भारत को रिसर्च के माध्यम से भी दुनिया का अग्रणी देश बनाएँगे। हम केवल दवाएं नहीं बेचेंगे, बल्कि दवाएँ बना कर, API देकर, intermediate substance देकर और vaccine जैसी रिसर्च करके भारत को pharmaceutical industry में दुनिया का सिरमौर बनाएँगे। इसकी पूर्ति के लिए NIPERs की स्थापना और NIPERs को national importance के institutes बनाने की जो पहल है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इनका संचालन काउंसिल के माध्यम से किया जा रहा है। जिस प्रकार IITs govern होती हैं, उसी

प्रकार से NIPERs govern होंगे। मान्यवर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 14 मिनट का समय दिया था और मैंने 14 मिनट में अपनी बात पूरी की है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion on the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021. Sir, this Bill aims to amend the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998. Sir, we know that under this Act itself, the institute was set up in Punjab and was designated as the institute of national importance. Sir, through this Bill, six more National Institutes of Pharmaceutical Education and Research are being designated as the institute of national importance. These institutes are at Ahmedabad, Hajipur, Hyderabad, Kolkata, Guwahati and Rae Bareli.

Sir, as my predecessor said, only designating an institute as an institute of national importance would not suffice, you need to provide the infrastructure and clear all the obstacles that lie in the path to upgrade the institution. Sir, I would like to mention that the Standing Committee had made certain observations but those recommendations have not been taken into account in the Bill.

Firstly, the Bill proposes to appoint three Members of Parliament to the Council. The Committee had proposed that the Members nominated as Members must have prior exposure to the medical or pharmaceutical field. This recommendation has not been taken care of.

Secondly, the Committee observed that even though all NIPERs are declared as institutes of national importance, there are three significant differences among NIPERs in terms of infrastructure, courses offered, campus space and academic and research outputs. It was suggested that specific parameters be developed to ensure that every NIPER meets the standards of an institute of national importance. This is very important aspect.

Sir, the Committee also advised the Economic Finance Committee under the Ministry of Finance to expedite approval for the establishment of permanent campuses for all NIPERs and to upgrade laboratory facilities at all NIPERs. It may be noted that except the institute in Punjab, the others do not even have their permanent campuses and we are giving them the status of institute of national importance.

In this regard, the Standing Committee had expected that five proposals, which are pending at other places, namely, Madurai, Jhalawar, Nagpur, New Raipur, and Bengaluru, may be given priority and approved. That has also not been taken

care of. Then, Sir, another important point is that the Committee noted that the Bill does not allow for transfer of Directors and academic members between NIPERs. The Committee highlighted that transfers among NIPERs may enable NIPERs to share and learn much from one another. This has been neglected. It has been suggested that the Bill should give the Department of Pharmaceuticals the authority to allow members to transfer amongst themselves.

I have to further submit that in India, the number of colleges offering pharmacy degrees at various levels has increased, and a practice-based doctor of pharmacy, that is, Pharm.D, degree programme was launched in several private institutions in 2008. But there has been little published material outlining the current state of complex pharmacy education in India. This needs to be taken care of most importantly. There is need for more information dissemination on courses related to pharmaceutical education and research. Another very important matter is that it should be ensured that parity is maintained between the national pharmaceutical institutes and the private institutes offering courses on pharmacy. A common guideline and structure should be laid out to ensure that the quality of education is the same across all the institutions. It has also not been taken care of. It is a humble request to the hon. Minister to throw some light on this.

Lastly, Sir, the board has been reduced from 23 to 12. In any case, the Drug Controllers of the concerned States should have been accommodated. They have not been accommodated. These are all my suggestions. With this, I conclude. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, Shri K.R.N. Rajeshkumar. He will be speaking in Tamil.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR (Tamil Nadu): Respected Vice-Chairman, Sir, I am proud to deliver my maiden speech in my mother tongue, Tamil.

*"Hon. Vice Chairman Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. First of all, I would like to thank our leader, Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, *Thalapathy* (Commander) Stalin for electing me as a Member of this august House, the House of Scholars. I also pay my salute to our dear brother Mr. Udhayanidhi who is a rising star of the youth. Sir, on the day I took Affirmation, the Union Government submitted a Bill for repealing the controversial farm laws. I am happy that the day I took Affirmation, had gained historic importance due to the repeal of farm laws, a

* English translation of original speech delivered in Tamil.

success owing to the long struggle of farmers of the country. I feel proud that such a historic occasion had happened on the day I took affirmation. It is a memorable day of my life.

Sir, at the same time, twelve Hon'ble Members of this House have been suspended on that day. I consider it a challenge to our democracy."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. L. MURUGAN): He is not speaking on the Bill. ..*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please speak on the subject. ...*(Interruptions)*... Please don't disturb.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: This is my maiden speech, Sir. I am speaking within the rules of the House. ...*(Interruptions)*...

*"Sir, General Bipin Rawat, Chief of the Defence Staff (CDS) lost his life at Coonoor, at Niligiri District in Tamil Nadu yesterday, due to a chopper crash. This House has paid obituary to the Esteemed General this morning. But, yesterday itself, our Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu had contacted the District Administration to accelerate relief measures. He rushed to the spot immediately after receiving the message and visited the Defence Services Staff College (DSSC) in Wellington. At 5 p.m. yesterday, he paid homage to the mortal remains of General Bipin Rawat and twelve other personnel of the Armed forces who lost their lives in the crash which happened in Tamil Nadu."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Rajeshkumarji, I understand that this is your maiden speech. You can speak upto 10 to 15 minutes, but you have to speak on the Bill. Please appreciate.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Okay, Sir.

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): Was he speaking on the Bill? ...*(Interruptions)*...

---

* English translation of original speech delivered in Tamil.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No cross talks, please. *...(Interruptions)...* Let him conclude his speech. *...(Interruptions)...* Rajeshkumarji, please continue. *..(Interruptions)..*

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: * "Our Hon'ble Chief Minister paid his homage this morning also. Their mortal remains were sent to Delhi with due respect this morning. Only afterwards, he departed for Chennai.

Sir, I pay respect to Thanthai Periyar, our *Pagutharivu Pagalavan* (Sun of Rationalism). I salute *Aringar (Erudite scholar)* Anna who gave us the adage, 'Duty, Discipline and Dignity'. Aringar Anna was a member of this House in 1962. I am proud of being a Member of the same august House now. Dr. Kalaignar was the unchallenging leader of Tamils. He was a champion of social justice. Dr. Kalaignar implemented the dreams of Thanthai Periyar, and *Aringar* Anna by enacting many legislations during his tenure as Chief Minister of Tamil Nadu. He wholeheartedly supported the implementation of Mandal Commission Recommendations."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please speak on the Bill. *...(Interruptions)....* Please speak on the Bill. *...(Interruptions)....* I have told him. *...(Interruptions)....* Rajeshkumar ji, please come to the Bill. *...(Interruptions)....*

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: I am thanking my leader. *...(Interruptions)....*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Other things are not going on record. Only what you are saying is going on record. *...(Interruptions)....* Please speak on the Bill. *...(Interruptions)....* I have given you enough time. *...(Interruptions)...* I have allowed you. *...(Interruptions)...* You must be fair. *...(Interruptions)....* Please.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: *"When our leader Dr. Kalaignar was the Chief Minister of Tamil Nadu, he enacted legislation to enable women to have equal share of property. He knew the sufferings of farmers. He gave free electricity to farmers in 1989. He set an example for the entire country in this aspect. Moreover, he waived off the agricultural loan given to farmers in the year 2006. It is my duty to point out that Dr. Kalaignar laid the foundation for the prosperity of farmers."

---

* English translation of original speech delivered in Tamil.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I appreciate. ...*(Interruptions)*.... He is just talking about his leader. ...*(Interruptions)*....

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: *"Our leader Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Thalapathy Stalin, is the epitome of hardwork. He knows nothing but 'hard work'. He is an indefatigable leader. Due to his struggle for the people, he was imprisoned during MISA and suffered many atrocious attacks in the prison...*(Interruptions)*"

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I have told him. ...*(Interruptions)*... He is coming to it. ...*(Interruptions)*....

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: *"In the year 1996, he was the Mayor of Chennai Corporation and due to his efforts Chennai City became *Singara* Chennai (Beautiful Chennai). The credit goes to our Thalapathy, our leader for improving the basic infrastructure of Chennai. He works untiringly in making Tamil Nadu the number one state in the country."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, I have noted your point. ...*(Interruptions)*.... I have noted both of the points that you are making. ...*(Interruptions)*.... Rajeshkumar ji, would you listen to me for a minute? ...*(Interruptions)*.... Rajeshkumar ji, listen to me for a minute. ...*(Interruptions)*.... I understand it. ...*(Interruptions)*.... Just listen to me for a minute. ...*(Interruptions)*.... Hon. Member, I am not responding to you. ...*(Interruptions)*.... Please listen to me for a minute. ...*(Interruptions)*.... It is your maiden speech. It will not serve any purpose if it provokes more. We are discussing NIPER Bill. It will be wonderful to hear you speak in your maiden speech. I have told you that you have 10-15 minutes. You can speak, but speak on NIPER Bill. Speak on the legislation. We would like to hear you. ...*(Interruptions)*.... Please hon. Members. ...*(Interruptions)*....

DR. L. MURUGAN: Sir, the Member is new. He can speak. But he can't speak like this. It is not Tamil Nadu Legislative Assembly. He can speak on the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I appreciate ...*(Interruptions)*.... Hon. Minister, I have told him. ...*(Interruptions)*.... Hon. Member, it is your maiden

---

* English translation of original speech delivered in Tamil.

speech. You have 10-15 minutes. Please focus on the legislation.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Sir, I know that it is my maiden speech. Using this opportunity I am thanking my leader. ...*(Interruptions)*.... Please permit it. ...*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: *"I am proud of informing this House that our leader Thalapathy Stalin is an 'Elected Chief Minister', not a selected Chief Minister."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Rajeshkumar ji, please speak on the Bill. ...*(Interruptions)*....

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: *"I would like to reiterate this point here. He has been elected in a democratic way."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): This is not on the Bill. ...*(Interruptions)*.... Rajeshkumarji, please. ...*(Interruptions)*.... You know; what is happening is that your maiden speech is getting to be provocative unnecessarily. ...*(Interruptions)*.... Please speak on the Bill. ...*(Interruptions)*....

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Sir, now, I will speak on the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I have requested you repeatedly. ...*(Interruptions)*.... If you do not speak on the Bill, unnecessarily, your maiden speech is going to get interrupted. ...*(Interruptions)*.... Would you like that? ...*(Interruptions)*.... This is not fair. ...*(Interruptions)*.... Please speak on the Bill. ...*(Interruptions)*.... Your maiden speech is getting wayward. ...*(Interruptions)*.... Your time is running out. Your eight minutes have gone. You have only 5-6 minutes left.

---

* English translation of original speech delivered in Tamil.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Okay, Sir. Sir, now I would speak on the Bill. The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 (NIPER) has been introduced in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Rajeshkumarji, let me just cite you a certain rule that we have. It is Rule 110 related to scope of debate. It says, "The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill." So, I would request you to appreciate that. It is your maiden speech. You are speaking very well. You are speaking nicely. We want to hear you. So, kindly, speak on the Bill.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Okay, Sir. *...(Interruptions)....* I will obey the order. *...(Interruptions)....* I will obey your order and advice. *...(Interruptions)....* Now, I would speak on the Bill. Please allow me. I will obey your order. Let me speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sure. If you speak anything which is not within the ambit of the Bill, it will not go on record. Please continue.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: *"Sir, now I would speak on the Bill. The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 (NIPER)I has been introduced in this House. Now this Bill has the provisions to include the representatives belonging to the community of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Board of Governors. But, in the original Bill, this provision was not there. When the Bill was referred to the Department Related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilisers, the Committee pointed out in its report about the omission of SC/ST representatives in the Board of Governors.

Sir, one such Pharmaceutical Institute was proposed to be set up at Madurai, many years ago. But, no financial allocation has been made so far, to implement the proposal. I request the Union Minister of Chemicals and Fertilisers to allocate sufficient funds to initiate construction of this Institute at Madurai. Sir, NIPER is a research Institute. I would like to point out the importance of coordination among researchers of various research bodies in the Board of Governors. NIPER is research institute under the Ministry of Chemicals and Fertilisers. There are some research bodies under Ministry of Health and Family Welfare. There has to be coordination

* English translation of original speech delivered in Tamil.

among the members of these research institutes. Researchers from various research institutes should find representation in the Board of Governors of all research institutes. Only then, will coordination become possible in the researches undertaken across the country.

Sir, I would like to remind the difficulties we faced during the pandemic and the difficulties we had in inventing a proper vaccination on time. Many research institutions gave opinion of their own. There were different views. Had there been coordination among the researches of various institutes, this task would have been completed at an earlier stage. It is my duty to inform the Union Government through you Sir, that decision making can be made easy only after such coordination.

With regard to applying for patents on behalf of India, more than 50,000 applications have been submitted. But NIPER had submitted only 47 applications. I would like to know the reason behind this meagre number of applications submitted by NIPER. We import essential medical equipments from abroad. We are dependent on foreign countries for essential medical equipments. Institutions such as NIPER should undertake many researches in order to achieve self sufficiency in the pharmaceutical industry of India. In order to enable such self sufficiency, proper allocation has to be made to this institute. I would like to point out that autonomy should not be limited only on paper."

3.00 **P.M.**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please start concluding, hon. Member. ...*(Interruptions)*... Please start concluding.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: *"Sir, it is my duty to point out that fund has to be released at appropriate time. In 2018, Economic Finance Committee has rejected the proposal of NIPER for the new establishments. Had it been allocated on time, many casualties would have been avoided during the pandemic.

Sir, we have many branches of traditional medicine such as Siddha, Ayurveda etc. The NIPER institute should conduct special courses for such branches of traditional medicine. I don't recommend for setting up a new institute for traditional medicine. The NIPER institute can undertake the additional responsibility of enabling researches in the field of traditional medicine and to conduct post graduation courses in traditional medicine."

---

* English translation of original speech delivered in Tamil.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. It is already fifteen minutes. Please conclude.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Sir, just one sentence. *"Autonomy cannot be achieved only by announcing in the Parliament about setting up of Institutes. Announcements have to be implemented on time, in real terms. Sufficient fund has to be allocated to them on time, to enable them function in an efficient way.

For example, it was announced that AIIMS- like institution will be set up at Madurai in Tamil Nadu. But, no work has started so far. I request the Minister to allocate funds immediately for completion of AIIMS project at Madurai."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We have to move on. Please conclude.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: *"Sir, I would like to point out that a time limit has to be fixed for implementation of the announcements made in Parliament. With these words, I conclude my speech. I thank you very much for giving me this opportunity."

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I support the Bill. मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लोक सभा में दिए गए reply को सुन रहा था। वे जन-औषधि केन्द्र के बारे में बोल रहे थे कि देश में generic medicines का usage दो परसेंट से बढ़कर आठ परसेंट हो गया है, वे उसके बारे में बता रहे थे। हम लोग 80 per cent of our APIs इम्पोर्ट करते हैं। A lot of steps have been taken by the Government, उसके बारे में वे बता रहे थे। I laud, I commend the Government for these initiatives but one of the previous hon. Members were speaking about APIs at length. He mentioned about these 80 per cent APIs being imported and we know that most of it comes from China. We also know the relationship we have with China. How ugly it is, how China's behaviour has been so ugly! So, from a national security perspective as well, it is imperative that we spend more on research. But guess what? India spends only 0.7 per cent of its GDP on research. It is really sad. ...*(Interruptions)*... Very sad. ...*(Interruptions)*... If translated, it is roughly 52 billion dollar on purchasing power parity. Guess, what again, China spends 372 billion dollars on research, which is more than seven times of ours. So, how are we going to minimize this API import from China unless we increase our research budget? I am not sure how much of this 52 billion dollar or 0.7 per cent of GDP is spent for pharma

* English translation of original speech delivered in Tamil.

research. But, my guess is it may not be more. So, my first and foremost request to the hon. Minister is to increase the budget on research and the NIPER, the name itself suggests that it is a research institute. In fact, one of the Statements of Objects and Reasons of this Bill states that this Bill has been lined up, the NIPER Bill has been lined up to put pharma research on a stronger footing. We are all aware that during COVID-19, how India has been one of the few countries, in fact, in the world to be able to produce vaccine and, in fact, export vaccine as well. I will now state the achievement of NIPER Mohali here. I would like to put it on record that they have done pioneering work on treatment drugs of COVID-19 and also on antiviral treatment. But, you will appreciate that research is a very long-term activity. It has a long gestation period of five to ten years. So, I would like to request, through you, Sir, to hugely increase, at least, by tenfold, the budget on pharma research. Sir, we have a huge population and a young population. We keep saying that we are the pharma capital of the world. So, to retain the status as a pharma capital of the world, we need to significantly increase the annual intake capacity of NIPERs, which today is miniscule, so that we can train more people. This has also been recommended by the Parliamentary Committee about which one hon. Member was speaking. In fact, Sir, why don't we consider setting up more NIPERs in different parts of the country? I do understand that five more NIPERs have been lined up at Madurai, Nagpur, Jhalawar, New Raipur and Bengaluru. My previous speaker, Rajeshkumarji, was lamenting on the fact that no budget has been allocated for the NIPER at Madurai and for other NIPERs as well. Sir, my humble request to the Government is to consider setting up more NIPERs in rural and tribal pockets of the country. Why should they be deprived of quality education in various fields? Sir, it is a vicious cycle. We keep setting up more and more institutes of national importance in urban settings and cities because we feel that the rural settings don't have the adequate ecosystem to support these institutes. But, then it becomes a vicious cycle. So, my suggestion would be while taking this opportunity to request setting up of NIPER in Kalahandi district of Odisha, which is part of the aspirational district, part of the KBK clusters, and it is largely tribal affected district. The Government of Odisha is willing to provide all support, including land for setting up of NIPERs. Although hon. Minister is not here, but, Sir, I strongly urge the Minister to consider this. Sir, one of the ...*(Interruptions)*... I am sorry. ...*(Interruptions)*... Yes, Bharati Madam is here. ...*(Interruptions)*... So, my next suggestion is that while I commend that the number of members in the Board of Governors has been reduced to 12 with the intention of rationalizing the Board, Sir, there should have been a mandatory provision in the Bill

itself to have, at least, one member belonging to SC/ST category in the Board. Now, I do accept that ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, try to come to the concluding part. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, give me one more minute. I do understand that in the Lok Sabha discussion, the hon. Minister spoke about the expert member of SC/ST community being in the Council and not in the Board. But that does not suffice. Why can't we have a member of SC/ST community both in the Council and in the Board? So, one of the 12 members can be an expert member or a social worker belonging to the SC/ST community. Sir, there is huge disparity now amongst the NIPERs in terms of quality, in terms of infrastructure, in terms of courses offered. So, hopefully, this Council will standardize the educational curriculum and other parameters and reduce and mitigate this disparity. My final suggestion is, we have thousands of years of traditional wisdom, indigenous knowledge, healing practices, our ancient medicinal practices like Siddha and Ayurveda. Why do we not have NIPER's short programmes in indigenous traditional medicine and ancient healing practices? As of now, NIPER-Mohali is offering one specialisation course. Why not all other NIPER centres start similar courses in coordination with the AYUSH Ministry?

While concluding, I request the hon. Minister to consider setting up a NIPER centre in Kalahandi district of Odisha and consider it making mandatory to have an expert member of SC/ST community in the Board itself. Thank you.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Sir, at the outset, I thank you for permitting me to speak on this important National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021. I am happy that the Government is bringing in this important Amendment Bill to the 1998 Act and also to the 2007 Amendment Act, which empowers the Central Government to establish similar institutions in different parts of the country. Why is this Amendment needed? The Indian pharmaceutical industry is poised for a tremendous growth in the coming decade. As you are aware, India has the knowledge, wisdom and the experience to produce global medicines. We are on a very good platform. What we need is the right kind of infrastructure. I think, through the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, an important initiative is coming. We have to certainly see to it that the best of human resources are developed, which the

pharmaceutical industry requires. It is also important to groom the industry-ready professionals with the best knowledge, skill and attitude, focusing on quality, safety and research mindset, which the pharmaceutical industry demands.

Sir, the future of Indian pharmaceutical industry is dependent on its ability to develop stronger capabilities in manufacturing operations, innovations, research and development along with skill development to strengthen the efficiency and cost-effectiveness to achieve world-class standards.

The features of the Bill are that this Bill declares and also provides standardisation of six additional institutions at Ahmedabad, Hajipur, Hyderabad, Guwahati, Kolkata and Rae Bareili apart from Mohali as institutions of national importance. This Bill also provides for a council to oversee and coordinate the activities of other institutions. This Bill reduces the number of members in the Board of Governors from 23 to 12. The benefits of this Bill are that the proposed changes will ensure a dynamic dialogue between the pharmaceutical industry and academia, which is the need of the hour, especially in the globally competitive, research-oriented pharmaceutical industry. It will also widen the scope of number of courses run by such institutions including graduate and post-graduate, doctorate, post-doctorate research in pharma education, certification courses and executive courses. The proposed council will ensure maintenance of standards and encourage exchange of information amongst institutions and kindle competitive spirit to strive for excellence. The number of members of the Board of Governors has been reduced from 23 to 12. This business-like approach will immensely benefit the institution faculty and students with relevant and need-of-the-hour mentorship from pharmaceutical experts and pharmaceutical industry. NIPER should work on the right kind of design, model for the education system, skill development and strategies which the industry demands. The Department of Pharmaceuticals should also ensure that the infrastructure of all NIPERs is in line with the best of the standards. R&D innovation centres must be established to support first generation pharma entrepreneurs. Specialised courses must be established for herbal medicine, natural products and traditional medicines. Certainly, there should be reservation for SC/ST and BC members on the Board of Governors.

Sir, in conclusion, the proposed amendments in the Bill, is a welcome step in the right direction, keeping in view the enormous business potential of the pharma sector. Business volumes are important, but the need of the hour is to upgrade the country's talent in the value chain and high-end research to keep pace with the best in the pharma domain globally.

Sir, before I conclude, I take this opportunity to remind the hon. Minister and the Government that Andhra Pradesh after bifurcation, has lost many important educational and research institutions of national importance. Sir, you may be aware, Andhra Pradesh is doing a fantastic job on pharmaceutical manufacturing and it has put up India's first public-private partnership industrial park which is producing more than 30,000 crores per annum of pharmaceutical manufacturing. I would request the Minister, through you, Sir, to consider setting up another NIPER unit in Andhra Pradesh, Vizag and also support the overall development of the State. Along with the above suggestion and conclusions, we support the NIPER (Amendment) Bill, 2021. Thank you.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, the 1998 Act established the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Punjab and declared it as an institute of national importance. The Bill provides for a council to co-ordinate the activities among the institutes under the Bill to ensure development of pharmaceutical education and research and maintenance of standards. The National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Act, 1998 was enacted to declare the National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Mohali, Punjab to be an institute of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith. Now I am going to point out some salient features of the Bill. The Bill declares six additional National Institutes of Pharmaceutical Education and Research as institutions of national importance. These institutes are located in Ahmedabad, Hajipur, Hyderabad, Kolkata, Guwahati and Rae Bareli. The Council, provided through the Bill, shall consist of the Minister in charge of the Ministry or Department of the Central Government, having administrative control of the pharmaceuticals (ex officio), as the Chairperson, Minister of State of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the pharmaceuticals (ex officio), as the Vice-Chairperson, three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) and other certain Members. It is not mentioned who are 'certain Members' in this Bill. It should be mentioned. Now, I will point out the benefits of the Bill. This Bill will help in coordinating the activities of all such institutes to ensure coordinated development of the pharmaceutical education and research and maintenance of standards etc. in the country. It will also widen the scope of number of courses run by such institutes, including graduate and post-graduate degrees, doctoral and post-doctoral distinctions and research in

pharmaceutical education, integrated courses, certificate course and executive courses.

Sir, there are several institutes having the status of Institutes of National Importance. Most of them are reluctant to comply with the principle of social justice and provide reservation in admissions and employment. The same policy should not be repeated in these institutions.

Sir, I request that all attempts should be made to set up pharmaceutical colleges in different districts to make these courses available to students at the rural level.

I wish to make a suggestion and request the hon. Minister to set up an institute of pharmaceutical sciences in Tripura to help students of the community pursue their studies in pharmaceutical education. Thank you.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir.

I am very happy to support the Bill introduced by the hon. Health Minister to constitute the council and make some amendments to the National institute of Pharmaceutical Education and Research Act. I support the Bill.

The main aim of the proposed council, as per the objective of the council, is to nurture and promote quality and excellence in pharmaceutical education and research, run masters, doctoral and post-doctoral courses and research in pharmaceutical education, develop a multi-disciplinary approach in carrying out research and training of pharmaceutical manpower and act as nucleus for interaction between academic and industry by undertaking sponsored and funded research. These are the objectives. I appreciate the objectives.

Sir, the council is constituted to control other institutions. Sir, you are an educated person and I am also educated. What is going on in the country? The UGC, on the one hand, is fighting for its claims and rights. The councils are different and having different opinion. Mr. Minister, you have included AICTE in the expert body. Sir, the AICTE and the council are always at loggerheads. They are not coming together. I know it very well, because the council passing certain decisions and AICTE asking it to implement certain decisions. Then, why are you including AICTE in that body? I could not understand. Now, the Pharmaceutical Council should come out from the purview of AICTE. Sir, now-a-days, AICTE has no role to play. You exclude it, because AICTE is taking care of engineering education. Medical education is taken care of by NMC. For architecture, we have a separate council. So, why do you want AICTE to play a role here? Once upon a time, AICTE had to play a role.

But, now, the council is having its own framework. Therefore, unnecessarily you are bringing it here; it has to be excluded. I hope the hon. Minister will consider that.

In the last three years, the council decided not to allow new institutions to come up! There is a ban on new institutions! Therefore, I request the hon. Minister to allow new institutions to come up. There is a provision. In my State of Tamil Nadu, we are trying to establish, but they are saying that the council is not permitting for pharmaceutical education and saying they are not necessary. Why is this kind of ban? Let the new institutions come. It is high time, hon. Minister, to see that council is allowed to establish new pharmaceutical colleges and other institutions. It is the need of the hour. It is the need of the hour because you are facing COVID-19 pandemic, with daily new variants, like, Omicron. There are so many things. We require medicines. Having more institutions, there will be more research, there will be more teaching. So, somewhere some good thing may come out. I am not denying that there will not be commercial institutions. Nowadays, education has, more or less, become commercial activity. Institutions are minting money. While opening the education for private sector, you had opened Pandora's box. It has become a commercial activity. Earlier, education used to be a noble profession. But, these days, it has become a commercial activity. It is a known fact that all the deemed universities, private universities, and private educational institutions have commercialized education. They are just doling out degrees. You will have to control that. But, I would, once again, like to request the hon. Minister to re-allow starting of new institutions in order to allow research activities. Only then you can achieve your objective. The AICTE has unnecessarily been brought into picture. It has no role to play now. Earlier, it had some role to play. You had to first seek the approval from the AICTE in order to start a new institution. Now, the AICTE is not accepting any new proposal for opening institutions. Therefore, the AICTE has no role to play now. Please exclude this from here. Also, re-allow the new institutions to come in the country.

With these words, I support this Bill. Thank you very much.

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ाई है या राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान को बढ़ावा दिया है। सुझाव के तौर पर मेरी ऐसी मान्यता है कि इसकी संख्या और बढ़ाई जाए और जो बड़े राज्य हैं, उन राज्यों में - अगर एक जिले को लिया गया है, एक जगह को लिया गया है - तो दो-तीन जगहों को लिया जाना चाहिए। उसमें बिहार को भी लें और जो अन्य बड़े राज्य हैं, उनमें भी इसकी संख्या बढ़ाई जाए। वहां जिस

संस्थान की स्थापना हुई है, उसमें पढ़ाने वालों की और पढ़ने वालों की गुणवत्ता हो और गुणवत्ता की महत्ता उसमें देखी जाए। प्रो. राम गोपाल बाबू ने जो कहा कि लोक सभा के और राज्य सभा के सदस्य हों, तो मेरी अपनी मान्यता है और मेरी समझ है कि उसमें राज्य के प्रतिनिधि को भी लिया जाए। उसमें लोक सभा और राज्य सभा के मेम्बर को तो लिया ही जाए, राज्य के विधायकों को और लोक सेवकों को, जो इसके अच्छे जानकार हैं, जो राय देने वाले हैं, जिनकी इन संस्थाओं के बारे में अच्छी समझ है, उनको भी लिया जाए। उसमें आरक्षण की व्यवस्था हो और आरक्षण को भी लागू किया जाए।

दूसरी बात यह है कि रोजगार के सृजन का महत्व भी इस बिल में आ जाता है, जो जेनेरिक दुकानें हैं या अन्य जो दुकानें हैं, उनमें फार्मासिस्ट लोगों की बहाली की जाए। इस बिल में यह आना चाहिए कि जहां फार्मासिस्ट लोग या बेचने वाले लोग नहीं रहेंगे, वहां उसको महत्ता दी जाए और उसको रखा जाए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दवाई पर जो लिखा जाता है, उसको मातृभाषा में लिखा जाए, जिसको आम लोग समझ सकें कि इस दवा की यह कीमत है, इस दवा की यह महत्ता है और यह दवा किस बीमारी में काम में लाई जाएगी, उसकी समझ भी उनको हो। यह इस बिल में समाहित होना चाहिए। इसमें जो बोर्ड बने, उसमें अच्छे लोग आएं, उसमें आरक्षण की व्यवस्था हो, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार)**:** थैंक यू, वाइस चेयरमैन सर, आज मूलत**:** इस बिल पर मेरे एक साथी को बोलना था, लेकिन कतिपय कारणों से वे आ नहीं पाए, उनको कुछ दिक्कत थी, इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी, मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है। एकाध चीज़ें हैं, जो फौरी तौर पर मेरी समझ में आई हैं। सबसे पहली बात है कि बिहार जैसे राज्य पर आपकी नज़र-ए-इनायत और हो। सर, एक संस्थान हाजीपुर में है, मेरा पूरा इलाका छूट जाता है-सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर-मिथिलांचल का पूरा इलाका छूट जाता है। हम पूरे देश को labour supply करते हैं।

एक माननीय सदस्य: आप तो दिल्ली में रहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): प्लीज़।

प्रो. मनोज कुमार झा: मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरा दिल वहां रहता है। मैं समझता हूं कि इस पर एक विस्तृत चर्चा हो और इसको गंभीरता से लिया जाए। दूसरी चीज़ है कि बीते दिनों मैं 'national importance or eminence' वाले कई मसौदों के पक्ष या विपक्ष में खड़ा रहा हूं। सर, जब 'eminence' लगता है, तो उसके साथ 'national' लग जाता है और इसमें पहली casualty सामाजिक न्याय के बिंदु हो जाते हैं। यह हमें स्मरण रखना होगा कि नेशनल, राष्ट्रीय बनाते ही यह कोई ऐसी स्वर्ग से आई हुई संकल्पना न हो जाए, जहां ज़मीन के ज़िंदा लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनसे वे वंचित हो जाएं।

सर, Board of Governors को मैं देख रहा था, आपने इसको streamline करने की कोशिश की है। इसके representative character पर जोर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था, अगर हमारे मौजूदा आधुनिक हिन्दुस्तान में, प्रजातांत्रिक हिन्दुस्तान में, यहां की हकीकत को represent नहीं करती है, तो वह संस्था democratic नहीं कही जाएगी।

सर, मैं माननीय मंत्री महोदय को बीते दिनों की बात बताना चाहता हूं कि मीडिया में कई खबरें आ रही हैं कि जिन संस्थानों में नियुक्तियां हो रही हैं, वहां ओबीसी, एस.सी., एस.टी. के लिए एक जुमला 'Not found suitable' का गढ़ लिया गया है।

सर, यह जो temptation है, यह मानसिकता की temptation है। आपको इससे भी एक मुश्किल लड़ाई लड़नी होगी और मुझे विश्वास है कि आप लड़ लेंगे, क्योंकि आपका नाम ही मनसुख जी है, जो कि बहुत अच्छा है।

सर, विभिन्न institutes के बारे में जानकारी आ रही है कि उनकी अवस्थिति एक जैसी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि उनके बीच में एक समरूपता आएगी, तो बेहतर होगा। लोक सभा के दो और राज्य सभा का एक सदस्य संभवतः काउंसिल में होगा। मेरा आग्रह है कि सदस्य medical या pharma background का होना चाहिए -इनकी कोई कमी नहीं है। उधर भी बहुत हैं और इधर भी हैं, अब तो डॉक्टर्स और फार्मा के लोग हाउस में वकीलों को टक्कर देने लगे हैं। मैं समझता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: लेकिन डॉक्टर्स आते हैं, वकील नहीं आते हैं।

प्रो. मनोज कुमार झाः हां, वह दिक्कत है। हर दल में वकीलों की बड़ी पूछ है, लेकिन वकीलों की पूछ यहां पर दिखती नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Navaneethji is always here. So, he is an exception.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: I admire Navaneethji for that, but exceptions cannot be the rule.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Agreed.

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं एक टिप्पणी आपके माध्यम से करना चाहता हूं। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि बर्फ पिघली है। सदन के अंदर बर्फ पिघली है, हम एक-दूसरे को सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं। सर, यह बर्फ हमेशा के लिए पिघलनी चाहिए। अगर किसी दिन कोई ऐसी चीज़ हुई, जो हो सकता है कि संसदीय इतिहास में बहुत गरिमा की चीज़ न रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वीणा के तार को इतना कस दें कि वह टूट ही जाए। हां, इतना ढीला भी न करें कि उससे स्वर ही न निकलें। इन्हीं शब्दों के साथ - माननीय लीडर ऑफ दि हाउस और पार्लियामेंटरी

अफेयर्स मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं हैं, मैं यही आग्रह करता हूं कि enough is enough, सर, अब बर्फ पिघलवा दीजिए। जय हिन्द।

श्री जयराम रमेश: सर, LoP तो तैयार हैं, वहां से तैयारी दिखाइए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : श्री अब्दुल वहाब।

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am supporting the Bill wholeheartedly. ....*(Interruptions)*.... Please, please, मेरे पास थोड़े ही मिनट हैं। Don't interfere.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): He has got only three minutes. Yes, please.

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, *So, please continue just like this. This is my request.

I am supporting the Bill, and I hope that all the Bills from Government would be just like this so that you can pass hundreds of Bills. There is no problem in that. But the problem is that they are getting some Bills which nobody can accept. So, we are all accepting this Bill.

India is a country where 23 per cent of the population can't afford healthcare and 7 per cent fall below-poverty-line due to the indebtedness caused by health expenditure. Even though our total doctor-patient ratio is better than the rate proposed by the UNO, the doctor-patient ratio in the rural area is as low as 1:1800 which requires urgent improvements. It is also high time that we increase our investments in the medical and health research, as mentioned by one hon. Member. It should be five-fold because this is a trillion dollar business, more than trillion dollar business. So, I hope you will invest more in the funding.

The discussion on this Bill is also a right time to appreciate the contributions the UPA Government made to India's science, education and research. All the six NIPER institutions that are being promoted to institutions of national eminence were established under the governance of Dr. Manmohan Singh. I also use this time to enquire from the current Government about their vision in education and research. It is quite noticeable that apart from upgrading the existing institutes, the current Government has done very little to establish institutes of global standards like the IITs, AIIMS, and IISERs in the last 7 years.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Sir, there is one more thing, and, with that, I would conclude. I cannot forget my State, Kerala. I would also like to bring to the notice the need for a National Institute of Pharmaceutical Education and Research in my home State, Kerala.

Lastly, over the last 3 years, there have been instances of different virus outbreaks in Kerala, including that of Nippah and Covid, being the State with one of the highest foreign national arrivals in the country. It is the need of the hour to have medical and pharmaceutical institutes in the State that are of global standards. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : श्री सुशील कुमार गुप्ता, आप बोलिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है। मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। महोदय, मुझे और आनंद आता यदि गांधी जी के स्टैच्यू के पास बैठे हुए वे 12 सदस्य भी यहाँ मौजूद होते और इस चर्चा में भाग लेते, तो लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वाह होता, परंतु परिस्थितियाँ जो भी हों, वे यहाँ नहीं हैं।

महोदय, ये सात इंस्टीट्यूट्स 2007 में बने थे। चौदह साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक केवल एक कैंपस पूरा हुआ है, बाकी के कैंपस अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिन्हें हम नेशनल इम्पॉर्टेंस का दर्जा दे रहे हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इन campuses को जल्दी से पूरा कराए। सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी है, उस पर मैं समझता हूं कि जो basic concept है, यह काउंसिल उस concept के खिलाफ बन रही है। उस concept के अंदर सारी काउंसिल्स को खत्म करके एक अप्रूवल बॉडी बनाने की बात कही गई है। इसके संविधान के अंदर एआईसीटीई के अध्यक्ष को भी एक मेम्बर बनाया जा रहा है, जबकि अभी तक, इन काउंसिल्स और एआईसीटीई के बीच कहीं-न-कहीं कंट्रोवर्सी रही है। यदि मंत्री जी इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे, तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली है और राजधानी होने के नाते यदि आप यहाँ भी एक नाइपर बनाएंगे, तो पूरे देश से आने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

महोदय, देश में सर्वाधिक बेरोज़गार मेरे पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंदर हैं। यदि आप वहाँ भी एक इंस्टीट्यूट बना देंगे, तो बेरोज़गारी कुछ कम होगी। मेरा इसके लिए भी आपसे अनुरोध है। शिक्षा की समानता हो, एक समान शिक्षा हो, इस concept में काउंसिल्स के माध्यम से कई बार अटकाव हो जाता है। मैं आपको इसके दो उदाहरण देना चाहता हूं। यदि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का उदाहरण लें तो देश के अंदर टेक्नीकल शिक्षाओं को समांतर करने के लिए जे ट्रिपल ई के माध्यम से पूरे देश के कॉलेजों के सारे सैंटर्स में एग्जाम होते थे और उनसे एडमिशन मिलता था। पिछले कुछ वर्षों में सीईओ ने 'नाटा' कम्पलसरी कर दिया। अगर आर्किटेक्चर में admission लेना है तो सारे कॉलेजेज़ को 'नाटा' से गुजरना पड़ेगा, सभी छात्रों को 'नाटा' का

टैस्ट देना पड़ेगा। अब न ही उसका proper advertisement होता है और न ही बच्चे दाखिला ले पाते हैं, क्योंकि वे एक्ज़ाम नहीं दे पाते।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। सन् 2014-15 में हरियाणा के अंदर 31 आर्किटेक्चर के कॉलेज होते थे, लेकिन Council की ज़िद के कारण उनमें से 22 कॉलेज बंद हो गए। उनमें government universities के colleges भी थे और private universities के colleges भी थे, अब पूरे स्टेट के लिए केवल नौ कॉलेज ही बचे। उन नौ में भी कहीं-न-कहीं intake कम कर दिया गया, क्योंकि काउंसिल के अंदर बैठे कुछ लोगों की ज़िद है कि 'नाटा' का एग्ज़ाम होगा और वह कब होगा, इसका पता छात्रों को नहीं लगता है।

मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी नियम बनाएं, जो भी संस्थान बनाएं, उसे इतना liberal करें कि छात्र उसके अंदर आ सकें। मैं इसका एक उदाहरण National Skill Development Programme का देना चाहूंगा। इसके अंदर लगभग जितने छात्रों के पैसे लिए जाते हैं, उसमें से 100 प्रतिशत छात्रों को डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलता है, किंतु 50 प्रतिशत कॉलेज उस संस्था का मुंह नहीं देखते, जहां पर उन्हें दाखिला दिया जाता है। इसके अलावा 80 प्रतिशत छात्रों को जो नौकरी की गारंटी दी जाती है, जिन्हें सरकार नौकरी के नाम पर पैसा देती है, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। इसलिए हमें ऐसे शिक्षण संस्थानों पर ध्यान देना होगा।

यह औषधि सम्बन्धी बिल है और औषध संस्थानों को हम राष्ट्रीय महत्व दे रहे हैं। आप पूरे देश के हैल्थ मिनिस्टर हैं और आप बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि दवाओं की जो कीमत निर्धारित होती है, उस पर दर्शाए गए एमआरपी पर प्रॉफिट 100 गुणा से लेकर 1,000 गुणा तक होता है। विशेष रूप से जो इंश्योरेंस के पेशेंट्स होते हैं, पैनल के पेशेंट्स होते हैं, सीजीएचएस के पेशेंट्स होते हैं, ईसीएचएस के पेशेंट्स होते हैं या अन्यान्य राज्य सरकारों के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें अस्पताल द्वारा वही दवाएं प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिनका एमआरपी ज्यादा हो, भले ही उनसे इलाज बेहतर हो या न हो। यह महकमा आपके अधीन आता है, इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करे कि दवाओं की कीमत reasonable profit के साथ रखी जाए, ताकि देश की आम जनता इस महंगे इलाज के बोझ के नीचे दब न जाए। उन्हें सही इलाज मिल सके और वे अस्पताल जा सकें।

अंत में, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। आप परिषदों के बोर्ड बनाते हैं, इसके अंदर आपने तीन सांसद सदस्य के रूप में रखे हैं, दो मंत्री अध्यक्ष रखे हैं, सम्बन्धित विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री उसके उपाध्यक्ष रखे हैं। इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी क्वालिफिकेशन कम-से-कम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जरूर होनी चाहिए, चाहे वे मंत्री हों, चाहे राज्य मंत्री हों या संसद सदस्य हों, अगर वे उस बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं, जिसने राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को चलाना है, तो इस बात का प्रावधान हो कि यह क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। यह किसी व्यक्ति विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं है। उस बोर्ड के अंदर मंत्री होने के नाते आप भी हो सकते हैं या अन्य कोई भी हो सकता है, परंतु यह देश का एक एक्ट बन रहा है और इस एक्ट के तहत आने वाली जेनरेशन हमेशा इस बात को दिमाग में रखेगी कि कोई 10वीं पास व्यक्ति उस बोर्ड का अध्यक्ष बन गया, जिसकी क्वालिफिकेशन तय नहीं है। वह पदेन अध्यक्ष बन जाएगा, पदेन उपाध्यक्ष बन जाएगा, तो इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। आज आप सरकार के एक

नुमाइंदे के रूप में काम कर रहे हैं, देश के हैल्थ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं और इस बिल को लेकर आए हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के जो अध्यक्ष बनें, उपाध्यक्ष बनें, बोर्ड के मेम्बर्स बनें, चाहे वे सांसद हों या मंत्री हों या किसी और संस्था से आने वाले व्यक्ति हों, उनकी कम-से-कम क्वालिफिकेशन आप जरूर तय करें, ताकि ये संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बनी रहें। उपसभाध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बात पर गौर फरमाएं

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021, seeks to amend the National Institute of Pharmaceutical Research Act, 1998. This Bill was passed in the Lok Sabha on 15th March, 2021. The purpose of this Bill is to declare six institutions of pharmaceutical education and research to be institutions of national importance. I am observing that the Government of India is establishing a lot of institutions of national importance in so many areas. We have passed quite a number of Bills declaring institutes as institutes of national importance. This Bill is in demand because pharmaceutical is one of the very important areas in a country like ours with population of 135 crore people. Over-centralisation of power and lack of autonomy is seen in the proposed Bill. The proposed Council is empowered with excessive powers with regard to financial, administrative and managerial matters of these institutes. This has to be looked into carefully. As the Council is mostly composed of Central Government bureaucrats, this potentially compromises on the Institutes' autonomy. This has to be taken care of. Some of the MPs are also accommodated in the Council wherein it may take decisions that may not be in the best interest of the Institutes. That is what I sincerely feel.

My second point is related to omission of provision of SC/ST Members in the Board. The parent Act required, at least, one public person or a social worker from the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe in the Board of Governors. I do not know why this Bill has removed this requirement. I request the hon. Minister to please include one SC/ST member who is qualified. You can find a lot of qualified people across the country to be included in this Board of Governors so that they will be represented properly. I request you to include this in the Bill.

The Bill recommends that the nominated members should have experience in medical or pharmaceutical fields and that the Council shall meet, at least, once in a year instead of six months. This Bill makes the provision of meeting once in a year which will hamper the working of the Council. The working of the Institutes will also

be hampered if the Council meets once in a year. So, I request that a provision should be made so that the Council shall meet, at least, twice a year.

We should also observe the Reports of the CAG and the Reports relating to the budgetary constraints to this. I would like to draw your attention to these Reports. The CAG Report, 2020 for six National Institutes of Pharmaceutical Education and Research, which established in 2007, says that the constitution of Boards of Governors for the six new Institutes was initiated in July 2015. It is very sad to note that six Boards were constituted only in the year 2019. From 2015 to 2019, for four years, the constitution of the Boards was in the process. I did not understand how the autonomy has been respected and how the working or functioning of these National Institutes is respected when you started appointing the Board of Directors after more than five years. This has to be taken care of immediately. It is very important. The Ministry of Chemicals and Fertilizers was silent on the reasons for the delay in constituting the Board of Governors. I want to know whether the bureaucrats are making the mistake, or, the Board of Governors have not met for four-five years. Even if they have met after four or five years, we would like to know the reason why the Boards have not been constituted and the reason for this delay has also to be clarified. Due to this delay, the autonomy of the institute is severely hampered and I don't understand how the research will go on in this kind of a situation.

The second point is that despite being in operation for more than ten years, six new institutes of national importance have been functioning from the rented premises. In some cases, the State Governments have given the land. In some cases, they are running not even in rented premises, but in some other places where the institutes of national importance should not be there. I am astonished to note that availability of quality infrastructure facilities for the students and the faculty is totally absent. If we cannot provide a good infrastructure to the institutes of national importance even after ten years, I don't understand how this is working out in other universities and institutes like these. This is my earnest appeal that the Government must take up building the infrastructure, permanent campus on a priority basis. Otherwise, the institute of national importance will not have any meaning. This issue has to be taken up seriously. Many institutes, out of these institutes which started about ten years back, are functioning with contract teachers. I don't understand this situation. If an institute of national importance cannot have permanent lecturers and professors, how will research take place, how will research work out and how will the students have proper guidance in that research? That is why, I request the Government to take up

appointment of teachers not only for the institutes of national importance but also for other universities and institutes on a priority basis.

Sir, I must bring to the notice of this august House that in our higher education, lakhs of teachers are working on contractual basis in most of the universities, IITs and IIMs. The contract teachers are working and the quality of education and research is getting hampered. Here, there are only eight institutes of national importance which you have taken up through this Bill. I request you to give due importance to the appointment of teachers and professors so that your research definitely becomes quality research. Otherwise, it will not be quality research.

Sir, I would like to say that whenever the Central Government announces any institutions of national importance, there should not be any budgetary constraints. But, here, in the financial year 2022, for the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, the money allotted is only Rs.215.34 crore, which amounts to Rs.30 crore for each of the seven institutes. I just want to know from the Minister: Out of Rs.30 crore, what is the budget allotted for the salary, what is the budget allotted for infrastructure and what is the budget allotted for research and other activities? When these activities get hampered and when you do not give sufficient funds to research, do not appoint permanent teachers and do not provide proper infrastructure, how can the research happen in full swing? This is another important question which needs to be answered.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please start concluding.

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, I will conclude within two minutes. The Standing Committee on Chemical and Fertilizers, in 2019, recommended for a budgetary allocation of Rs.450 crores. I request that, at least, the Standing Committee's recommendation should be honoured and Rs.450 crores should be sanctioned for these institutes so that they can have their research activities in full swing. Sir, see the data on research papers published and patents awarded. If you see the percentage of students' placement, only 20 per cent of the students have got placement. This is very sorry state of affairs. Sir, we expect 100 per cent placement in these kinds of institutes, otherwise, these institutes of national importance will not be taken seriously by anybody. Sir, you should have an account of these institutes and it should be ensured that every year, all the students get the placement.

As of now, you have only 1,195 students admitted to this institute. I would request that we should have provision for more students to engage themselves in research and studies, which would be good for the country. Sir, the institutes of national importance should not be just like other universities. You should provide them full staff and sufficient money for research purposes etc. First of all, you should ensure that the infrastructure and permanent campuses are provided at the earliest to the institutes. This is very much required. If this can be done, only then, the institutes of national importance will have some meaning, and, quality research and education will be done in those institutes.

Finally, Sir, through you, I would like to request the hon. Minister to consider the points which I have raised and take care of these institutes which are very important for the future of India, which is going to be a 'Healthcare India' in the coming future. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN(DR. SASMIT PATRA):Thank you. Now, Shri Mahesh Poddar.

SHRI MAHESH PODDAR (Jharkhand): Thank you, Sir. I rise to support the Bill. हमारे कुछ साथी जिनको राख ही राख नज़र आती थी, मैं उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा, जिसे हम ब्रह्मवाक्य मानते हैं, जिस पर हमारी आस्था भी है।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।।"

यह एक संस्कृत की लाइन है, जिसका अर्थ है, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमयी घटनाओं के साक्षी बनें और किसी को दुख का भागी न बनना पड़े। इसमें जो विशेष चीज़ है, वह है —सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे यानी सब लोग और जब हम वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करते हैं तो पूरे विश्व के लोगों के लिए कामना करते हैं कि सारे लोग निरामय हों।

महोदय, मोदी सरकार की एक विशेषता रही है, जब वे किसी चीज की कल्पना करते हैं और किसी चीज को छूते और छेड़ते हैं, तो सब लोगों के लिए कल्पना करते हैं, चाहे वह पानी का मामला हो, चाहे वह बिजली का मामला हो, चाहे वह घर का मामला हो, चाहे वह गैस का मामला हो, चाहे वह सड़क का मामला हो या चाहे वह बैंक अकाउन्ट्स का मामला हो - यह लिस्ट बहुत लम्बी है। जब हमें सब लोगों के लिए सब कुछ करना है, तो उसके लिए बहुत कुछ आवश्यकताएं पड़ती हैं और एक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। 'नाइपर' बिल पर अभी हमारे साथी डा. एल. हनुमंतय्या जी ने ठीक ही कहा कि यह अफसोस की बात है कि इतने साल लग गये, लेकिन हमें जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए था, वहां हम नहीं पहुंचे, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें आश्वस्त होना चाहिए कि इस सरकार की जो कार्य शैली है, अब आगे आने वाले समय में,

चार-पांच साल में शायद उनकी वह शिकायत नहीं रहेगी, हम बहुत आगे निकल जायेंगे और यह संशोधन उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए महज एक कदम भर है।

महोदय, 1998 में 'नाइपर' मोहाली को एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था और जो 6 और संस्थान थे, उनके बारे में संशय था कि वे इसमें शामिल हैं या नहीं है, इनका क्या रूप होगा, इनकी क्या रूपरेखा होगी, लेकिन इस बिल के द्वारा आज यह स्पष्ट हो गया कि हम कहां हैं, हमें कहां जाना है और क्या हमारा लक्ष्य है।

महोदय, भारतीय फार्मा उद्योग जेनेरिक दवाओं में वैश्विक रूप से अग्रणी रहा है और अगले दशक में घरेलू बाजार के तीन गुणा बढ़ने की संभावना है।

4.00 P.M.

महोदय, भारत का घरेलू फार्मास्युटिकल बाजार 2021 में 42 बिलियन डॉलर का था, जो मात्र तीन साल में 65 बिलियन डॉलर तक पहुँचेगा और 2030 तक यह तिगुना हो जाएगा, इसके करीब 120-130 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

महोदय, हम बात करते हैं कि हम फार्मा के प्रोडक्ट्स आयात कर रहे हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है, जब हम सबसे बड़े निर्यातक भी बनेंगे और शायद हमें आयात करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। पिछले दिनों जब सब कोरोना से संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमने यह साबित कर दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस थोड़ा हौसला चाहिए, एक मार्गदर्शन चाहिए और एक नेतृत्व चाहिए। महोदय, ये जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बन रहे हैं, ये हमारे इस लक्ष्य को, फार्मा के क्षेत्र में इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

महोदय, इस विधेयक को बनाने वाले दो शब्दों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। वे हैं- शिक्षा और अनुसंधान। जब हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं, तब ये दोनों आवश्यक हैं। चूँकि आज तक चिकित्सा के क्षेत्र में हम जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल अनुसंधान का है। दुनिया भर के हर कोने में जो हजारों-लाखों लोग जी-जान लगा कर अनुसंधान में जुटे हैं, उनके 10-10, 20-20 सालों के परिश्रम के बाद एक छोटी-सी उपलब्धि होती है, लेकिन मानव जीवन के लिए वह बहुत कारगर साबित होती है। महोदय, देश के लगभग 4,000 फार्मा कॉलेजेज़ में लगभग 4 लाख छात्र स्नातक होते हैं और ये देश के कोने-कोने में एक अच्छी मेडिकल सेवा देने के लिए काम कर रहे हैं।

महोदय, अब मैं इस बात पर आता हूँ कि कैसे इस देश में स्वास्थ्य-सेवा का विस्तार हो रहा है और कैसे स्वास्थ्य सेवा के trained लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। सितम्बर, 2021 तक सरकार ने लगभग 78,000 स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों का संचालन किया है तथा इन Wellness Centres में विभिन्न सेवाओं से लगभग 62 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं।

महोदय, 'आयुष्मान भारत योजना' की भी बात है। हमारे झारखंड जैसे छोटे राज्य में, जहाँ कुल 67 लाख परिवार हैं, वहाँ हमारी जो पिछली भाजपा की सरकार थी, उसने 57 लाख लोगों को 'आयुष्मान भारत योजना' की सुविधा प्रदान की थी, केवल 10 लाख परिवार ही छूटे थे, जिनको भी इसकी सुविधा देने की योजना थी और अगर हमें मौका मिलेगा, तो हम उन्हें वह

सुविधा अवश्य देंगे, इसमें वहाँ का हर परिवार शामिल होगा। महोदय, हमारे यहाँ यह हकीकत है कि किसी छोटे से गाँव में भी चले जाइए तो वहाँ आपको लाठी लेकर चलने वाले, टूटी हुई कमर वाले बहुत से लोग मिल जायेंगे। इसका कारण यह है कि वे पेड़ पर चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, उनके हाथ-पैर टूटते हैं, लेकिन वे उसका इलाज, ऑपरेशन या प्लास्टर नहीं करा पाते, क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं। महोदय, वे किसी तरह से लकड़ी की पटरी बाँध कर अपना इलाज करते थे, तो उनके अंग permanently deformed हो जाते थे। महोदय, आज यह स्थिति हो गयी है कि 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत वे properly इलाज करा पा रहे हैं और उनका जीवन सँवर रहा है -- यह बहुत बड़ी बात है।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिनों 'मन की बात' में दो उदाहरण राजेश प्रजापति जी और सुखदेवी जी के दिये थे। कैसे बताएँ? यह हकीकत है कि पैसे की कमी के कारण लोग इलाज नहीं करा पाते थे, जो आज इलाज करा पाने में सक्षम हैं। महोदय, स्वाभाविक है कि छोटे-छोटे गाँवों में भी डॉक्टर, क्लीनिक और फार्मेसी, इन चीज़ों का प्रसार हो रहा है तथा लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। स्वाभाविक है कि इसके लिए हमें अच्छी trained manpower की आवश्कयता होगी। जब ये राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनेंगे, तब वे हमें अच्छी trained manpower देंगे। हो सकता है कि हमारे इन national institutes से पढ़े हुए बच्चे विदेशों में भी जाकर काम करें। हम जब फार्मा का, जेनेरिक मेडिसिंस का निर्यात करेंगे, तो साथ-ही-साथ उसकी सेवाओं में भी हम अपने लोगों को बाहर भेज पायेंगे। यह बड़ी ताकत होगी, जो कि विश्व की स्वास्थ्य-सेवाओं को सपोर्ट करेगी। यूके वगैरह में तो हम सम्भाल ही रहे हैं, विश्व के अन्य बहुत सारे देशों में हम उनकी स्वास्थ्य-सेवाओं को सपोर्ट करेंगे।

महोदय, जब इस सरकार की बात होती है, तो एक बहुत फेमस शेर है कि:

" कौन कहता है आसमां में सुराख़ नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।"

महोदय, यह सरकार एक बार नहीं, बार-बार पत्थर उछाले जा रही है। अगर आप देखें तो 50, 60, 70 सालों में कितने एम्स बने थे? आज 9 एम्स कार्यरत हैं और 22 में काम चल रहा है -- यह एक सोच है। ...(व्यवधान)... महोदय, यह जो सोच है, यह सोच ऐसी है कि राज्य सरकारें कन्करेंट लिस्ट में अपना-अपना काम कर रही हैं। महोदय, हमारे जैसे राज्य में 60-70 सालों में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज 5 तो चालू हो चुके हैं तथा 5-6 और चालू होने वाले हैं। महोदय, यह जो तेज़ी से विस्तार हो रहा है, इन सब के पीछे हमारी एक बड़ी सोच है कि "सर्वे सन्तु निरामयाः।" प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि 'एम्स' वास्तव में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र का एक प्रकाश स्तंभ है। जहाँ तक इन फार्मा संस्थानों के बारे बात करें, तो पाँच और कॉलेजेज़ हैं, जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं। ये भी जल्दी पूरे होंगे, जब यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात होगी, तो ये सब उसमें सप्लीमेंट करेंगे।

महोदय, मैं यहाँ पर एक सुझाव देना चाहूँगा कि इस देश में निजी लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं में काफी रुचि लेते हैं, जो धर्मार्थ के कारण भी लेते हैं। मेरा आग्रह होगा कि धार्मिक समूहों और

धर्मार्थ ट्रस्टों के द्वारा स्थापित और समर्पित इस तरह के संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाए, इनके बारे में भी कोई राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, जिससे निजी लोग भी इसमें जुड़ सकें और देश को अधिक संसाधन मिल सकें।

महोदय, इसका एक घटक, फार्मा अनुसंधान है और वह patent on intellectual property right है। चूँकि ये संस्थान सफल शोध में सबसे आगे होंगे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि शोधकर्ताओं के ऐसे अधिकारों की रक्षा की जाए, जिससे कि उनको शोध करने में प्रोत्साहन भी मिले। इससे active pharmaceutical ingredients का उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जो इस समय चीन जैसे देश से आयात किए जा रहे हैं।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय महत्व के दो संस्थानों को एकीकृत किया था, जिन्हें Institute of Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar और National Institute of Ayurveda, Jaipur कहा जाता है। इसके पीछे भी एक सोच है कि जितने भी नॉलेज के sources हैं, वे अलग-अलग compartment में नहीं रहें, बल्कि जुड़ कर एक साथ आएँ ताकि एक नेशनल नॉलेज बैंक बने, जिसका फायदा पूरे देश को मिले।

महोदय, मुझे विश्वास है कि यह विधेयक देश में और अधिक NIPER की स्थापना में तेजी लाने में सहायक होगा और भावी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अधिक शैक्षिक सीट्स समर्पित करेगा। इसमें निजी क्षेत्र के लोग भी आगे आएँगे, वे भी इससे प्रोत्साहित होंगे। मैं इसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मनसुख मांडविया जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके नेतृत्व में भी बहुत सारे सराहनीय काम बहुत तेज गति से हो रहे हैं, धन्यवाद।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, with one Bill after another from the Health Ministry coming in the Parliament and the steering wheel in the hands of a very receptive, responsive and cooperative Union Minister and his Minister of State, I tend to believe that days are not far away when the Right to Health Services Bill will also be introduced in this House.

Sir, about this Bill, the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers submitted its Report on the 4th of August 2021. The recommendations of which seem to have hardly been included in this Bill. For instance, as others have spoken, there are huge disparities in terms of infrastructure, courses, campus, and academic and research output. The Standing Committee recommends certain standards that must be set in order that NIPER can qualify as an Institute of National Importance. We talk about national standards. When are we moving towards international standards? At the international level, our ranking is very low. Our ranking in education begins from below 500 for all our educational institutions whether they are the IITs or the IIMs or others. We need to meet global standards. I believe that research is our weak area. Research is something the culture of which needs to be built in this nation. We must now stop and get over the copy-and-paste culture and come to genuine research.

We should also come up with something against plagiarism. I have introduced a Private Member Bill on plagiarism. Our biggest weakness is that we do not instill research culture in the minds of our students right from schools days. And that is the difference between other countries and India. That is why, their higher education is of more higher standard. The Australian Ambassador to India has called India the manufacturing hub of the world. My colleague has said that it is the pharmacy capital of the world. The Brazilian President has also made a similar statement. The Journal of Family Medicine and Primary Care says that India is a manufacturer of 60 per cent of all vaccines sold across the world but the 40 billion dollar pharmaceutical industry is not yet included in it. If it is included, we can see how far we can go. The Economic Survey of 2020-21 published by the Ministry of Science and Technology says that the goal valuation of the entire pharmaceutical industry in India is estimated to be over 130 billion dollars by 2030. However, the key players in the industry itself say that this cannot be achieved without innovation. So, innovation and research are key words. India is one of the countries with lowest investment in scientific research. It is 0.83 per cent of its GDP. It is pathetically poor. A study which was published in 'Mint' in 2016 says that the IPR regime in India was not brought up to international standards which has resulted in making India being bottom five of the ranking among 56 countries. That is the sorry state of affairs. Western pharmaceutical companies invest

20 per cent of their sales in R&D while India has only six per cent in R&D. So, we need to improve this expenditure. As my colleague, Mr. Hanumanthaiah, has just said, expenditure on research has to improve, especially in these NIPERs.

Sir, please give me one more minute. Pharmaceutical companies are commercial. They make research for their own profit. But if NIPERs do research, they will be able to produce life-saving medicines. For instance, we just faced a pandemic and in this pandemic, I think, long-term research needs to be conducted on the use of the medicines that we have made. It is very important. We have administered remdesivir, tocilizumab and various other medicines. What is the long-term impact of this? We have lost so many actors who were fitness freaks. There was a sudden coronary episode and they were not there any longer. There has been abortion after abortion in this country. We must see whether the incidence of abortion has increased because of the impact of the drugs which were administered during Covid regime. So, we have to make sure that our research improves. In the list of research institutions involved in vaccine development programme in India, not one NIPER has its contribution. In India's own vaccine development, Covaxin by Bharat Biotech and

in research partnerships, nowhere in this list, NIPERs are mentioned. So, at the end, I would only emphasize that expenditure on research is very important. If these national institutes are coming up one after another, they should stick to the standards. Otherwise, just bringing in new institutes and calling them research institutes is of no purpose.

Sir, at the end, I would only quote four lines, "You have to walk your path alone, no matter what's in store, we will bring you to life's classroom, and then leave you at the door." That's what education does. Thank you, Sir.

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, बिल के ऊपर बहुत सारी बात हो गई है। मैं समझता हूँ कि इसके aspects और articles में जो संशोधन किए गए हैं, उन पर बहुत सारे Hon. Members ने, हमारे पक्ष से भी और उधर से भी बोला है। महोदय, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री जी की जो सोच और विज़न है, वह यही है और उन्होंने शुरू में भी यही कहा था कि इस देश के अंदर सब कुछ है। यहाँ टैलेंट भी है, साधन भी है। अगर हमारे अंदर संकल्प-शक्ति है, प्रतिबद्धता है, तो शायद उसमें दिक्कत नहीं आएगी। प्रधान मंत्री जी के इसी विज़न के अनुकूल जो कार्य हुए, उनका रिज़ल्ट राष्ट्रहित में भी हुआ और जनहित में भी हुआ। उन्होंने आते ही यह कहा कि जो कानून इस देश के लिए relevant नहीं हैं, ब्रिटिश-काल से चले आ रहे हैं, उनको remove किया जाए। उसके बाद उन्हें remove किया गया, जबकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी। जो संस्थान ऑल इंडिया लेवल के हैं या स्टेट लेवल के हैं, उनको ऑल इंडिया लेवल पर करने के लिए, strengthen करने के लिए, मजबूत करने के लिए उनका जो उद्देश्य है, उसे हम जनता के लिए, देश के लिए पूरा करें।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेडिकल काउंसिल और होम्योपैथी काउंसिल की हिस्ट्री देखी होगी कि देश के अंदर उनका क्या हाल था। उनके चेयरमैन को हटाना बड़ा मुश्किल था और वे भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके थे। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की यह प्रतिबद्धता थी कि हमारे पहले के जो ऐक्ट बने हुए थे, उनमें संशोधन करते हुए देश की संस्थाओं में उन्होंने बदलाव किया तथा उनमें एक स्वच्छ परम्परा, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था की शुरुआत की। मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसी क्रम में हर संस्था को प्रमोट किया, चाहे वे IITs हों, IIMs हों या हमारे मेडिकल क्षेत्र के अंदर एम्स तथा अन्य मेडिकल कॉलेजेज़ हों। देश के लोगों को हैल्थ की सुविधा हर क्षेत्र में मिले, उसमें क्वांटिटी भी हो तथा क्वॉलिटी भी हो, इसके लिए उन्होंने देश के अंदर हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तथा हैल्थ की

सुविधाओं को बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि इसको मद्देनज़र रखते हुए तथा प्रधान मंत्री जी के उसी विज़न को देखते हुए हमारे माननीय मंत्री महोदय यह बिल लाए हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, इनके कार्य से आप भली-भांति परिचित हैं और यह सदन भी परिचित है। जब हम इनके शिपिंग मिनिस्टर के रूप में किए गए कार्यों को देखते हैं, तो पाते हैं कि इन्होंने किस तरह से लाइट हाउसेज़ को पर्यटक-स्थल के रूप में बदला तथा उसके लिए काफी मेहनत की। जब प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि इनको सुधारना है, तो इन्होंने एक संकल्प लिया। उसी तरीके से, इन्होंने मेडिकल क्षेत्र में भी काफी कार्य किए हैं। इनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय था। मैं ज्यादा आँकड़े इसलिए नहीं दूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी इस पर ऑलरेडी कह चुके हैं। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे। सर, पूर्व की सरकार में जन-औषधि केन्द्र 300 से ज्यादा नहीं बढ़े थे। हमारी जो जेनेरिक मेडिसिंस थीं, वे नाममात्र की थीं, वे जल्दी मिलती नहीं थीं। जो पेटेंट की हुई दवाएँ थीं, वे हमसे ज्यादा कारगर नहीं थीं। हमारी भी फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन पेटेंट वाली दवाएँ आम व्यक्ति को भी उपयोग करने में बहुत costly पड़ती थीं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहूँगा कि चाहे stent हो, knee का ट्रांसप्लांट हो अथवा किसी तरह की मेडिसिन हो, जन-औषधि केन्द्रों की संख्या का बहुत कम समय में 8,000-9,000 तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले इनकी संख्या 300 से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वैलनेस सेंटर्स की वृद्धि होने तथा औषधियों के उपलब्ध होने के बारे में हमारे पूर्व वक्ता डा. अनिल जी ने बताया कि हमने किस तरह से प्रगति की है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज फार्मा सेक्टर के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मा के अंदर बहुत अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं। देश के अंदर टैलेंट है। देश के अंदर साधन सीमित हैं, लेकिन जब प्रतिबद्धता है, तो उन सीमित साधनों में भी हम आने वाले समय में फार्मा इंडस्ट्री को और ज्यादा प्रमोट करेंगे। इन institutions में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि छोटे परिवर्तन के रूप में केवल इतना ही किया गया है कि हमारा जो NIPER पहले पंजाब के मोहाली में स्थित था, उसकी संख्या वर्ष 2007-08 में बढ़ाई गई और अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में छः और NIPERs बने। इस बिल का उद्देश्य है कि वे भी इसके तहत आएँ और वे भी all India standards के बनें, उनके अंदर फार्मा के एजुकेशन का भी सेटअप हो, उनमें अंडर पोस्ट-ग्रैजुएट तथा पोस्ट-ग्रैजुएट की भी डिग्री मिले, वहाँ other courses भी हों तथा इसके साथ-साथ उनके अंदर क्वॉलिटीपूर्ण रिसर्च का कार्य भी हो। हमारे देश के अंदर रिसर्च के कार्य करने वालों की कमी नहीं है। यहाँ टैलेंट है, प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए नेतृत्व चाहिए।

माननीय उपसभापति जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अभी हमारे माननीय सांसदों ने भी बोला है - पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि साधनों के सीमित होते हुए भी हमने इस महामारी से किस तरह से मुकाबला किया और वैक्सीन के क्षेत्र में लगभग 126 से 128 करोड़ लोगों को vaccinated कर दिया गया। आज हमारे पास इतनी वैक्सीन है कि हम विदेशों में भी भेज रहे हैं और आवश्यकतानुसार तैयार भी हो रही है। इसके बाद भी हमारे मित्र कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीन की shortage है! देश में कितनी भ्रांतियां फैलायी गईं थीं! किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने कुछ कहा - यदि मैं कहूंगा तो उनको सुनना पसंद नहीं आएगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से

अपने राजस्थान की स्थिति बताना चाहता हूं, हालांकि मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि अभी राजस्थान का वर्णन किया गया था कि राजस्थान में हैल्थ सेक्टर बहुत तगड़ा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि वह इतना तगड़ा था कि वहां वैक्सीन कचरे के ढेर में मिली, लाखों की तादाद में मिली। हमारे प्रधान मंत्री जी की जो सोच थी कि मेरे देश के करीब 50 करोड़ गरीब लोगों को 'प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना' का लाभ मिले इसके लाभ के लिए वहां क्या किया - वहां स्कीम को लागू नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की 'भामाशाह कार्ड योजना'...

श्री उपसभापति : आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री रामकुमार वर्मा : सर, आप मुझे समय बता दीजिएगा।

श्री उपसभापति : आपका समय समाप्त हो रहा है, कृपया conclude कीजिए।

श्री रामकुमार वर्मा : सर, मुझे 10 मिनट का समय मिला है।

श्री उपसभापति : आपका समय समाप्त हो रहा है, आपने अपना समय पूरा कर लिया है। Please, conclude.

श्री रामकुमार वर्मा : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि वहां पर जिस तरह का वातावरण था, वहां एक 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' लागू कर दी गई - उसकी घोषणा कर दी गई, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर उसका लाभ सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहा है।

श्री उपसभापति : रामकुमार वर्मा जी, कृपया conclude कीजिए, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा।

श्री रामकुमार वर्मा : उपसभापति महोदय, मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त कीजिए, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रामकुमार वर्मा : उपसभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से सैक्शंस में clear किया गया है...

श्री उपसभापति : धन्यवाद, रामकुमार वर्मा जी।

श्री रामकुमार वर्मा : उपसभापति महोदय, अभी एससी-एसटी की बात कही गई थी।

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

श्री रामकुमार वर्मा : सर, मुझे एक मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

श्री रामकुमार वर्मा : सर, रिज़र्वेशन के लिए प्रतिबद्धता है और माननीय मंत्री जी से बात हुई है कि 25-30 साल पहले से ही यूनिवर्सिटीज़ थीं, लेकिन उनकी स्थिति क्या थी?

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, कृपया conclude कीजिए। मैं दूसरे स्पीकर को बोलने के लिए अनुमति दे रहा हूं।

SHRI RAMKUMAR VERMA: I am concluding in one minute.

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, आप already एक मिनट अधिक समय ले चुके हैं। मैं अब दूसरे स्पीकर को बोलने के लिए अनुमति दे रहा हूं।

श्री रामकुमार वर्मा : उपसभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश को यह विश्वास हो कि इस संस्था के द्वारा गरीबों का भला होगा और मैं ऐसा मानता हूं कि 6-7 संस्थाओं के अलावा ये और भी बढ़ेंगी, धन्यवाद।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion and passing of the National Institute of Pharmaceutical Educational and Research (Amendment) Bill, 2021. Almost all the Members who have participated in the discussion on this Bill have supported this Bill. It does not mean that they are accepting the Bill in *toto*. The hon. Minister has to consider the recommendations and the observations made by most of the speakers and consider those which are suitable and make necessary amendments in the Bill. Sir, during the second lockdown period in this year, across the entire nation each and every citizen came across words like 'shortage of Remdesivir' and 'shortage of oxygen', etc. That was the serious situation which made us to resolve that essential medicines to meet any contingency should be produced indigenously. The reason for mentioning this now is that the Bill, which has been brought before this House, deals with those institutes which are nourishing ground for young pharmacists. These students

studying in those institutes have the responsibility of undertaking research to invent more and more medicines for pandemic diseases like COVID-19. Moreover, this Bill proposes to accord the status of institute of national importance to some institutes which were set up under the parent Act. Sir, this Bill proposes to introduce a new Chapter II-A intending to establish the Council to coordinate the activities of all the institutes and to take all steps to ensure planned and coordinated development of pharmaceutical education and research and maintenance of standards. Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to make one request to the hon. Minister that investment in pharmaceutical sector in India is very meagre. It has been learnt that it is only 40 billion dollars. The Government must undertake all endeavour to enhance the level of investment, at least, up to 50 billion dollars. We have such a pool of talent in the country that if sufficient investment is ensured, we can certainly excel in this sector. In our country, we have witnessed that Bharat Biotech, a leading pharmaceutical company, has innovated the Covaxin vaccine for COVID-19, which has now been globally accepted. If these institutions enhance the budgetary outlays, so many inventions can be done. The Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, which considered the Bill and submitted its Report to the House, expressed its concern regarding inordinate delay in setting up five more National Institute of Pharmaceutical Education and Research centres.

In one of the recommendations, it is recommended that certain standards for such parameters may be set to ensure that every NIPER centre meets the standard of national importance. It is a valid recommendation. I think, it should be considered. The Government is going to take such steps so as to standardise all these seven institutions.

The other important recommendation is that additional courses have to be started. It is also important. About the specialised courses, there must be courses in traditional medicines. I would like to bring to the notice of the august House the generic medicines. That is also important. I would like to seek a specific clarification from the hon. Minister. What is the present status and statistics of the generic medical shops in the country?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over; please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, as a result of this, the poor and marginalised sections of the society will be getting medicines at affordable and stable rates. The pharmaceutical industry is not cooperating with the generic medical stores.

That is their approach. My solution is, the generic medicines should be popularised internationally. Let these seven centres of national importance focus in order to provide innovative medicines at affordable and cheaper rates so that the common masses are benefited. I also urge you to explore the possibility of establishing more institutions, one particularly in Amaravati, in the State of Andhra Pradesh. Thank you, Sir.

श्री श्वेत मलिक (पंजाब): उपसभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 पर बोलने का मौका दिया। मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उनका पहला स्वप्न आत्मनिर्भर भारत का था, दूसरा विश्वगुरु भारत और तीसरा स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत का था। ये ऐसे लक्ष्य थे कि आज तक इस देश में 70 साल में जो कार्य हुआ, उस पर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के सात वर्ष भारी पड़ रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, हर क्षेत्र में आम आदमी के लिए उपलब्धियां हैं। जैसे आपने स्वास्थ्य क्षेत्र लिया, तो यह जो अमेंडमेंट बिल आया है, यह बेसिकली हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए है। The National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 को संशोधित किया गया, जिससे इसका लाभ घर-घर तक पहुंच सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जैसे कि मोहाली में यह संस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तो उसी पैटर्न पर आज अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, रायबरेली की संस्थाओं को भी सशक्त किया जा रहा है, ताकि वे भी राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल हो सकें। इसमें मुख्य तौर पर यह होगा कि हमारी duration of degree भी तय हो सकेगी और जो admission criteria और fee criteria है कि बच्चों से reasonable fee ली जाए, इस criteria के जरिए उनको शक्ति दी गई है। Infrastructural development institutes का एक इतिहास है। जैसे अभी हमने इसके ऊपर चर्चा की कि आज रिकॉर्ड हो गया कि हर प्रदेश में आई.आई.टी., आई.आई.एम., सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। यह सब पहले क्यों नहीं हो सका, यह सोचने का विषय है। इसके लिए इच्छा शक्ति, कुशल नेतृत्व और सशक्त नेतृत्व चाहिए। आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है, जिससे कि हर प्रदेश को आज यह सुविधा मिल रही है, केन्द्र सरकार से बहुत अधिक ग्रांट्स मिली हैं। अभी हमने कोविड का उदाहरण लिया। अगर हम तैयार होते, वैसे तो मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनके कुशल नेतृत्व के कारण, दूरदर्शिता के कारण इस वैश्विक महामारी के निवारण में उन्होंने सफलता प्राप्त की। अगर डेटा देखें, तो उस डेटा में जो mortality rate है, वह हमारे देश का दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम रहा है। हमारा जो नुकसान हुआ, उसके अन्य कारण थे और जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा और उदाहरण के साथ एक प्रश्न भी उठता है कि 70 वर्षों में, जो वेंटिलेटर्स हैं, जो कि एक लाइफ सेविंग कंपोनेंट है उनका अभाव था और वे 16 हज़ार थे। मोदी जी की इच्छाशक्ति, कुशल नेतृत्व और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डा. मनसुख मांडविया जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज 59 हज़ार वेंटिलेटर्स एक वर्ष में बने, जबकि हम पहले 16 हज़ार वेंटिलेटर्स के साथ काम कर रहे थे। ऑक्सीजन एक लाइफ सेविंग कंपोनेंट है।

क्या हमें पहले इसके बारे में चिंता नहीं थी कि जब कभी कोई ऐसी महामारी आती है, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? पहले ऑक्सीजन बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी, वहां से हर हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन खरीदी जाती थी। अब हर हॉस्पिटल को प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में self-sufficient किया जा रहा है और उनके अपने ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि इच्छाशक्ति की जो कमी है, वह पंजाब में है। पंजाब में जो सरकार थी, वहां जो वेंटिलेटर्स भेजे गए, तो उसने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया कि ये जो वेंटिलेटर्स भेजे गए हैं, वे खराब भेजे गए हैं। ...(**व्यवाधान**)...

श्री जयराम रमेशः आप बिल पर बोलिए। ...(**व्यवाधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़ ...(**व्यवाधान**)...

श्री श्वेत मलिकः जब टीम वहां गई, तो टीम ने देखा कि उनको install नहीं किया गया था। यह मैं स्वास्थ्य के विषय पर ही बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने 70 वर्ष में तो कुछ किया नहीं हैं। ...(**व्यवाधान**)... मैं भाई जयराम जी को यही कहूंगा कि चिल्लाने से 70 वर्ष का कुशासन सुशासन में नहीं बदल जाएगा।...(**व्यवाधान**)...

श्री उपसभापतिः श्वेत मलिक जी, आप चेयर को address करके बोलिए। ...(**व्यवाधान**)... कृपया आपस में बात न करें।

श्री जयराम रमेशः इनको बिल पर बोलना चाहिए।

श्री श्वेत मलिकः आज यहां पर दवाइयों का उत्पादन हो रहा है, यहां पर फार्मा इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है, फ्रार्मा इंडस्ट्री में formulation तो होता है, लेकिन रिसर्च की कमी थी। हमारा भारत तो इसके लिए प्रसिद्ध था कि यह आयात करने वाला भारत है और यह विदेशों पर निर्भर रहने वाला भारत है - यह 70 वर्ष तक हुआ है। यह पहली बार हुआ है कि जब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। अब हर चीज़ मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। यहां तो हम हर चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम यह कदम लेकर आए हैं। यह जो institute है, यहां research होगी और रिसर्च करने के बाद हम आयात नहीं, बल्कि निर्यात करेंगे। आज हमें इसमें इतनी सफलता मिली है कि यह वैक्सीन हमने डेवलप की है और अपने देशवासियों के इलाज के साथ कई देशों में भी यह वैक्सीन भेजी है।

श्री उपसभापतिः श्वेत मलिक जी, आप कन्क्लूड कीजिए। आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री श्वेत मलिकः आज 132 करोड़ देशवासियों का वैक्सीनेशन हो चुका है। आज हमें कोरोना से निजाद मिली है, कोरोना के आक्रमण से देश आजाद हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी

और उनकी सरकार दिन-रात यह चिंता करती है कि इस देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। उन्होंने जो देश से वायदा किया है, वह वायदा पूर्ण हो रहा है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। जय भारत।

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभापति महोदय, आपने मुझे The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया, बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस बिल पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। श्रीमान्, इस बिल में सरकार ने सात संस्थान मोहाली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है। यह इस क्षेत्र में एक अच्छी पहल है। इससे भारत एजुकेशन और रिसर्च में नई उपलब्धि तय करेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान Board of Governors की तरफ लाना चाहता हूं, जिसमें 23 की संख्या को घटाकर 12 किया गया है। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में संबंधित एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों और कर्मचारियों को अपनी बात रखने का सही प्लेटफॉर्म मिल सके, क्योंकि तमाम ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों में, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों का शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, कई बार ऐसा देखने को मिला है। चाहे वह एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वह रिसर्च को लेकर हो, चाहे वह कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर हो, चाहे प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर हो, इसलिए इसके बोर्ड में एस.सी., एस.टी. और ओबीसी का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है।

श्रीमान् जी, अभी भी इस क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत बहुत आगे पहुंच गया है। आज भी इस क्षेत्र की जो इंडस्ट्री है, वह 70 परसेंट चीन के कच्चे माल पर डिपेंड करती है। हम आज भी चीन के माल पर डिपेंड करते हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सॉल्ट मैन्युफेक्चरिंग में भी गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में दवाइयों के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए, जो कि दवाइयों की कीमतों पर, दवाइयों की क्वालिटी पर ध्यान दे। तमाम दवाइयों की दुकानों पर लोकल ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, जो हाई रेट पर बेचे जाते हैं। देश में बहुत बड़ी आबादी गरीब तबके की है, जो महंगी दवाइयों को खरीदने में असमर्थ है। गरीब लोगों के साथ बिना दवाइयों के हादसे भी होते रहते हैं। अभी कोविड के दौरान हम सबको ऐसा देखने को भी मिला है। श्रीमान् जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है, धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री उपसभापतिः माननीय श्री जुगलसिंह लोखंडवाला जी।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला (गुजरात): उपसभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है। साथ-ही- साथ, मैं माननीय मंत्री डा. मनसुख मांडविया जी का इस महत्वपूर्ण बिल को लाने के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता

हूं। इस बिल पर काफी लोगों ने चर्चा की है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह बिल काफी लम्बे समय से पड़ा हुआ था, आप इसको अब क्यों लेकर आए हैं? अगर लाए हैं, तो इतना लेट क्यों लाए हैं, जबकि उन्हें पता है कि मोहाली के अंदर 1998 में राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। जब 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई, तब से अब तक के बारे में, मैं अपने साथी मित्र को बताना चाहता हूं कि चाहे चिकित्सा हो, रोड हो या कोई भी काम हो, उसमें हमारी सरकार तत्परता से काम कर रही है। जिस तरह से देश के अंदर कोरोना की वैश्विक महामारी आई है, जो कोरोना की महामारी चल रही है - अगर भूतकाल में, पिछले सालों के बारे में सोचें कि उस टाइम के अंदर यह बीमारी आई होती, तो क्या होता, हम इससे कैसे निपटते? यहां पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डा. मनसुख मांडविया जी बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि जब वे मंत्री बने और मैं उन्हें शुभकामनाएं देने गया, तब उन्होंने मुझे एक बात बताई। उस समय मेरी उनके साथ बात हो रही थी - उस समय तक हमारे करीब 40-45 लाख लोगों को वैक्सीन लगी होगी, वे सोच रहे थे कि मुझे hundred above जाना है और वह भी नवम्बर माह के अंदर ही जाना है। अगर इतना कौशल सरकार के अंदर किसी में है, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में है। यह जो बिल लाया गया है, इस बिल के अंदर क्या है? हम बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, परन्तु इसके अंदर फार्मास्युटिकल्स सहित दोनों को कम्बाइन करने की बात है। इन संस्थानों में मेडिकल के जो स्टूडेंट्स आते हैं, छात्र आते हैं, वे रिसर्च की हुई दवाइयां लिखते हैं। पहले हम लोग, फॉरेन से जो दवाइयां आती थीं, उनका यूज़ करते थे। इसकी जगह पर आज भारत के अंदर ये दवाइयां बन रही हैं। इनके संबंध में हम अपने सजेशन्स दे सकते हैं। हम इसको किस तरह से इम्प्रूव करें, किस तरह से डेवलप करें, इसके संबंध में हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। माननीय प्रधान मंत्री जी की अगुवाई में हम और भी आगे बढ़ने वाले हैं। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्णाटक राज्यों के अंदर भी नये-नये institute बनने वाले हैं, उनके अंदर भी नई-नई रिसर्चेज़ होंगी। हमारे जो बच्चे हैं, वे नई-नई रिसर्च करके नई-नई दवाइयां खोजेंगे और फार्मास्युटिकल्स के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। विश्व के अंदर दवाइयों की बहुत मांग है, हम लोग आयुर्वेद में तो पहले से ही आगे थे, परन्तु आने वाले वक्त के अंदर हम और आगे होने वाले हैं। जिस तरह से जन-औषधि केंद्र की बात की है, आप उसके अंदर भी देखिए कि लोग जिन दवाइयों पर लाखों रुपये खर्च करते थे, आज वही दवाइयाँ 100, 200, 500 और 1,000 रुपये में मिलती हैं। जिस तरह से लोग डरा कर रखते थे कि यह बड़ी factory की दवाई है, विदेश की दवाई है, आप इसको यूज़ कीजिए, इसकी जगह पर आज माननीय प्रधान मंत्री जी की जो लोकल टू वोकल की सोच है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से आयुर्वेदिक के साथ-साथ फॉर्मास्युटिकल्स का भी बच्चों को अलग-अलग जगह पर प्रज्ञान मिलेगा, बच्चे नई-नई रिसर्च करेंगे, नई सोच के साथ कुछ नया इनोवेशन करेंगे। इस कोविड महामारी के अंदर जिस तरह से हम पर तकलीफें पड़ीं और वैक्सीन बनाने को लेकर पहले जिस तरह से ऐसा सोचा जाता था कि इसको बाहर से, विदेश से लाएंगे, की जगह पर यह वैक्सीन इंडिया में बनी। फार्मास्युटिकल में यदि आने वाले वक्त में इसी तरह से कोई महामारी आ जाती है तो हमारी रक्षा कैसे की जाए और हम किस तरह से बचाव कर सकें, उस तरह से भी

सोचकर यह बिल लाया गया है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री, डा. मनसुख मांडविया जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही इस बिल को सपोर्ट भी करता हूं। उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बिल पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, जय हिंद, वंदे मातरम्।

श्री उपसभापति : डा. किरोड़ी लाल मीणा जी; अनुपस्थित।

डा. मनसुख मांडविया : माननीय उपसभापति जी, राज्य सभा में नाइपर अमेंडमेंट बिल पर कुल मिलाकर 21 सम्माननीय सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। उनमें हमारे नीरज डांगी जी, प्रो. राम गोपाल यादव जी, डा. अनिल जैन जी, अबीर रंजन बिस्वास जी, के.आर.एन. राजेश कुमार जी, सुजीत कुमार जी, अयोध्या रामी रेड्डी आला जी, महेश पोद्दार जी, श्वेत मलिक जी, रामकुमार वर्मा जी, जुगलसिंह लोखंडवाला जी, डा. एल. हनुमंतय्या जी, झरना दास बैद्य जी, एम. थंबीदुरई जी, राम नाथ ठाकुर जी, प्रो. मनोज कुमार झा जी, अब्दुल वहाब जी, सुशील कुमार गुप्ता जी, डा. फौजिया खान जी, रवींद्र कुमार कनकमेदला जी और श्री रामजी को मिलाकर कुछ 21 माननीय सदस्यों ने अपनी बात, अपना विषय और अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस बिल के संदर्भ में दिए हैं।

महोदय, मैं इस बिल पर बात शुरू करूं, उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज का दिन हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं इस बिल को लेकर आगे बात करूं, उससे पहले देश के उन सभी 10 लाख से ज्यादा फार्मासिस्ट्स, हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ से जुड़े कर्मचारियों से लेकर सीईओ, एम.डी., चेयरमैन तक सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने रात-दिन काम करके पिछले दो सालों में भारत की कोविड से लड़ाई के दौरान न केवल भारत में दवाई की आपूर्ति सुनिश्चित की है, बल्कि दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दवाइयां भी उपलब्ध कराई हैं। जब यह बिल लोक सभा में आया, तब स्टैंडिंग कमेटी में रेफर हुआ। जब वह स्टैंडिंग कमेटी में गया था, तब सम्माननीय स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। उनमें कई सुझाव थे। हमने उनमें से कई सुझाव बिल में ऐड कर लिए हैं और जब हम रूल्स बनाएंगे, तब उन कई सुझावों को इन्क्लूड कर लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं, इसलिए मैं आज इस अवसर पर स्टैंडिंग कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपसभापति जी, जब राज्य सभा में इस बिल की शुरुआत हुई है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह बिल केवल चार अमेंडमेंट्स के साथ आया है, मेरे केवल चार अमेंडमेंट्स हैं। उनमें से एक मोहाली NIPER के बारे में है। वह एक ही संस्थान था और उसे national importance का दर्जा दिया गया था। उसके बाद छह नए NIPER बने, लेकिन उनमें clarification नहीं था कि उनकी national importance है या नहीं है। वह चीज clarify हो जाए और उन्हें भी national importance का दर्जा दिया जाए, यह हमारा पहला संशोधन था। हमारा दूसरा संशोधन था कि NIPER में आज पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी का ही अभ्यासक्रम चल रहा है, एजुकेशन दी जा रही है। उसके साथ अंडर ग्रेजुएट की एजुकेशन भी जोड़ दें, कोई डिप्लोमा देना हो, तो वह दे सकते हैं और other type के एजुकेशंस उसमें शामिल कर सकें, जिससे NIPER में भी यह शिक्षा दी जा

सके। इसलिए आवश्यक था कि एकेडेमिया और इंस्टीट्यूट के बीच में एक रिश्ता बने, एक-दूसरे का सहयोग हो। तीसरा संशोधन यह था कि सभी NIPERs को coordinated view में हम चला सकें। सभी में देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार एक ऐसी काउंसिल बने, जिसमें डिस्कशन हो और देश को आने वाले समय में हमारी जो रिक्वायरमेंट है, कौन से विषय पर हमें बल देना चाहिए, किस विषय की हमें आवश्यकता है, उस पर एडवाइज़ कर सके। इसलिए वह एडवाइज़री बॉडी के रूप में एक काउंसिल बने। हमारा चौथा संशोधन था कि सारे नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट्स में हमारी कितनी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, तो हमारे NIPER में 30-32 थीं। सभी में 12-13 सदस्यों की हैं। सभी नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट्स में गवर्निंग बॉडी एक टाइप की ही रहे, इस दृष्टि से जो 30-32 थे, उसे कम करके 12 तक करें, उसके लिए यह चौथा संशोधन था। उसके बारे में यहां पर observation हुआ। हमने गवर्निंग बॉडी की कोई पॉवर कम नहीं की है या वापस नहीं ली है। गवर्निंग बॉडी के पास जो पॉवर थी, वही उसमें रहेगी।

इसके अलावा एससी और एसटी के बारे में सब माननीय सदस्यों ने कहा कि इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व गवर्निंग बॉडी में रहेगा, एक महिला का प्रतिनिधित्व भी रहेगा। इसमें कोई कमी नहीं होगी, सभी जाति, वर्ग और समुदाय आपस में मिलकर इस विषय पर काम करें, इस दृष्टि से इसमें यह प्रावधान भी रखा गया है।

जब नीरज डांगी जी अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने कई political observation किए। यह बिल political observation करने वाला नहीं है। किसी सदस्य का सुझाव हो या संशोधन हो, वह तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ को जब हम political observation के साथ जोड़ देते हैं, तो मेरी भी मज़बूरी हो जाती है कि मैं उसका रिप्लाई दूं।...(**व्यवधान**) ऐसा नहीं है, मैं बहुत smoothly कहूंगा, मुझे यहां कोई राजनीति नहीं करनी है। नीरज जी ने तो बात को बहुत आगे तक बढ़ा दिया।

माननीय उपसभापति जी, आपने भी देखा होगा कि देश में कोविड क्राइसेस चली। During Covid प्रधान मंत्री जी ने देश को कई बार address किया। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों के साथ भी बात की, जिन्होंने अच्छा काम किया, उन सभी की सराहना की। उनकी कभी यह सोच नहीं रही कि अमुक स्टेट बीजेपी रूलिंग स्टेट नहीं है, इसलिए उसकी सराहना नहीं करना है, ऐसा नहीं हुआ। कई राज्य बीजेपी रूलिंग स्टेट नहीं हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्रियों की सार्वजनिक रूप से सराहना की। उन्होंने कहा भी कि इस राज्य के मुख्य मंत्री जी ने यह अच्छा काम किया है, मैं इसकी सराहना करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने यह स्टैंड permanent रूप से लिया। यही स्टैंड लेकर उन्होंने हम लोगों को भी सराहा है, इसलिए जो अच्छा काम करे, उसे appreciate करो। माननीय सदस्यों के सुझाव आते हैं या उनके द्वारा कोई कागज़ आता है, वह स्वागतयोग्य है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसी तरह से माननीय स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव दिए तो उनमें कई महत्वपूर्ण सुझाव थे। हमने उनमें से कई सुझाव मान लिए। अगर कोई सुझाव हमसे छूट जाता है तो उसे aid करके हम उसे बेहतर बनाने का काम करते हैं।

उपसभापति जी, यहां कोई भी विषय आए, तो तुरंत यह बात होती है कि शोषित, वंचित, पीड़ित का उसमें कोई स्थान नहीं है, यह होना चाहिए या वह होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि

शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों की भलाई करने के लिए ही मोदी सरकार बनी है। हमने काम ही वहां से शुरू किया। मैं बाहर कोई observation नहीं करूंगा, मैं हैल्थ सेक्टर में observation कर रहा हूं। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अच्छी बात कही कि universal health access मिलना चाहिए। यह बहुत अच्छा सुझाव है।

माननीय सदस्य प्रो. मनोज कुमार झा जी ने कहा कि हम labour supply करते हैं, I am sorry to say you कि labour supply शब्द का प्रयोग न करें। लेबर हमारे देश का सम्मान हैं। हमारे देश में मजदूर मेहनत करता है, पसीना बहाता है।...(**व्यवधान**) मैं मानता हूं कि आपका ऐसा इरादा नहीं था। माननीय उपसभापति महोदय, मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि देश में गरीब लोगों के लिए यह काम मोदी जी ने ही किया, वह तो स्वीकार करना पड़ेगा। अमीर लोगों को तो कहीं भी treatment मिल जाती है। जो गरीब लोग हैं, उनके लिए तो केवल ऐसा माना जाता था कि गरीब लोगों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ही जाना है। सरकारी अस्पताल मतलब गरीब का अस्पताल, लेकिन अब नहीं। 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत 10 करोड़ families को health coverage दी गई। आज से 8 साल पहले अमेरिका में 'ओबामा केयर योजना' आई थी। 'ओबामा केयर योजना' ऐसी थी कि उसमें अमेरिका के 10 करोड़ नागरिकों को health coverage देनी थी, उनको health security देनी थी। माननीय उपसभापति महोदय, देश की समस्या, देश के गरीब लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री जी ने 10 करोड़ families, यानी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की health security दी। हमने यह काम किया है। हमने ऐसे शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। यहाँ कहा गया कि हमने जुमला किया, मैं यहाँ quote नहीं करना चाहता हूँ कि आपने क्या किया, लेकिन हमने तो यह काम किया है। हमने 10 करोड़ families, यानी 50 करोड़ लोगों को health security दी। वह भी कैसी! 20 हजार ऐसे hospitals हैं, जहाँ एक बेड पर एक गरीब परिवार के व्यक्ति का इलाज होता है और दूसरे ही रूम में दूसरे बेड पर एक अमीर परिवार के व्यक्ति का इलाज होता है। यह बराबरी का काम तो हमने ही किया है।

माननीय उपसभापति महोदय, गरीब लोगों के पास घर होना चाहिए। हमने ऐसा नहीं कहा कि हम इसको घर देंगे, हम उसको घर देंगे, जिसने हमें वोट दिया है, हम उसको घर देंगे। देश में सभी गरीब लोगों को घर मिले, अपना घर मिले, इसका कार्यक्रम चल रहा है। सभी गरीबों के यहाँ चूल्हा जलाने के लिए गैस सिलिंडर मिले। इसको मिले, उसको मिले, इसने वोट दिया है, नहीं दिया है, हमने ऐसा नहीं किया है। माननीय उपसभापति महोदय, पहले ऐसा होता था, हमने ऐसा नहीं किया है। हमने कहा है कि हर गरीब को गैस सिलिंडर मिले। इसमें जाति, वर्ग, समुदाय, कुछ नहीं आता है। देश के गरीब लोगों के यहाँ उसके घर में गैस का चूल्हा जलना चाहिए, हमने यह काम किया है।

हमने health access देने के लिए 1 लाख 50 हजार Health and Wellness Centres खोलने के लिए 'Ayushman Bharat - Health and Wellness Centre' अभियान चलाया है। 85 हजार से अधिक, 5-6 गाँवों के बीच में एक Health and Wellness Centre हो, जहाँ diabetes का check-up हो, B.P. का check-up हो, जिन महिलाओं को breast cancer होता हो, उसका check-up हो, cervical cancer का check-up हो, oral cancer का primary check-up हो।

उनमें से कोई ऐसा patient लगे, तो उसको तुरंत ही refer करके district hospital में भेजा जा सके, यह काम हमने किया है। माननीय उपसभापति महोदय, हमने देश में यह करके दिखाया है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं इसी सदन में एक बार विस्तार से कोविड के ऊपर discussion में reply दे चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा observation नहीं करूँगा, लेकिन मैं हर दिन सुबह review करता हूँ कि दुनिया में कोविड की स्थिति क्या है, vaccination कैसा चल रहा है, इंडिया में vaccination की स्थिति क्या है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं G20 Health Ministers' Summit में गया था। वहाँ कई देशों के मंत्री कह रहे थे कि हमने 80 per cent vaccination कर दिया। हमने पूछा कि आपकी population कितनी है, तो उन्होंने कहा कि 90 लाख। मैंने कहा कि 90 लाख vaccination तो हम हर दिन करते हैं। यह क्षमता हिन्दुस्तान ने हासिल कर ली है। आज देश में 130 करोड़ से अधिक vaccination हो गया है। यह 85 per cent है। यह कहा जा रहा था कि कैसे होगा, कैसे होगा! मैं एक observation कर रहा था। यह कहा गया कि आपने कहा था कि दिसंबर में vaccination हो जाना चाहिए। मैंने कहा कि मैंने किसी को मना नहीं किया है, न ही मोदी जी ने मना किया है। आप अपने लोक सभा क्षेत्रों में जाकर, अपने इलाके में शत-प्रतिशत vaccination हो जाए, इसका प्रयास कीजिए। आज स्टेट्स के पास 20 करोड़ से ज्यादा doses पड़ी हैं, उनका उपयोग करके हम यह काम कर सकते हैं। इस काम में हम सब लोग लगें। यह केवल सरकार का ही काम नहीं है, यह देश का काम है, हम सब लोगों का काम है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा है कि यह लड़ाई मैं अकेला लड़ूँगा। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि यह लड़ाई देश लड़ेगा। मोदी जी देश के प्रधान मंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब लोगों को साथ में मिल कर यह काम करना है। हमने यह किया भी है। आज 85 per cent लोगों को first dose administer हो गयी है और 52 per cent से above लोगों को second dose administer हो चुकी है। यह हमारे देश की उपलब्धि है। माननीय उपसभापति महोदय, यहाँ brain power और manpower की कभी कमी नहीं थी, सवाल था उसको अवसर देने का। उसको अवसर देने से उसकी क्षमता बाहर आती है। आज आप NASA में चले जाइए, हर 10 में से 3 scientists Indian हैं। दुनिया के किसी भी research institute में चले जाओ, 10 में से 3 research fellow भारतीय हैं, यह भारत की क्षमता है। यह क्षमता यहां पहले भी थी, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता था। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, केवल अवसर देने का काम किया है। जब वैक्सीन की manufacturing के लिए research करने की बात चल रही थी, उस समय सभी vaccine manufacturing industries के साथ बात हुई। उस समय उन्होंने कहा कि साहब, हम दो-तीन साल से पहले तो vaccine नहीं दे पाएंगे। चूंकि यही देश का अनुभव था। दुनिया में vaccine की research होती थी, जैसे BCG vaccine की research हुई, तो दस साल के बाद वह भारत में आई, smallpox vaccine की research हुई, तो 5-10 साल के बाद वह भारत में आई। दुनिया में जो भी vaccine बनती थी, 10-15 साल के बाद वह भारत में आती थी, लेकिन भारत में इन पर कोई research नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? Industries की क्या समस्या थी? हमने यह काम किया है कि हमने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि हम यहीं research करेंगे, लेकिन यहां पर research करने का जो सिस्टम है, जो rules and regulations हैं...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : आप जो बोल रहे हैं, इसका इस बिल से...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let him speak...*(Interruptions)*

डा. मनसुख मांडविया : जयराम जी, मैं भी बिल पर ही बोल रहा हूं।...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : ये सारे इश्यूज़ आपने उठाए हैं, इसीलिए ये जवाब दे रहे हैं।...(**व्यवधान**)... जब आप ये सब इश्यूज़ उठाएंगे, तो उनका जवाब कौन देगा? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप आपस में बात न करें।...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी को बोलने दें।...(**व्यवधान**)...

डा. मनसुख मांडविया : माननीय उपसभापति महोदय, मैं बिल से बाहर नहीं जाऊँगा। यह बिल से जुड़ी हुई बात ही है, इसलिए मैं इसके बारे में बोल रहा हूं।...(**व्यवधान**)... NIPER research का काम करता है, इसलिए यह विषय आया है।...(**व्यवधान**)...

माननीय उपसभापति महोदय, हमारे उन्हीं scientists, उन्हीं Pharma industries ने research करके दिखा दिया है। हमारी pharma industries ने अपने देश में ही vaccine की manufacturing करके दिखा दिया। देश की vaccine manufacturing industries नवम्बर महीने में 31 crore doses manufacture करेंगी। हम जितना भी प्रयास करें, तब भी 22-23 crore vaccines से ज्यादा नहीं लगा पाएंगे, यानी more than 7 crore doses excess होंगी, जो हम दुनिया को दे रहे हैं। हम पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं, यह काम हमने किया है। मैं जो भी बोल रहा हूं, आप देख लीजिए, उसमें मैं कोई politics नहीं करना चाहता हूं। नीरज जी के questions का reply automatically इसमें से मिल रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, हमारे राम गोपाल यादव जी ने सभी वर्गों एवं समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की बात रखी थी। अभी राम गोपाल जी यहां नहीं हैं, लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा कि SC/ST वर्ग और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए इसमें पहले से ही व्यवस्था की गई है।

माननीय उपसभापति महोदय, हमारे राजेश कुमार जी ने रिसर्च पर अधिक खर्च करने की बात कही थी, यह अच्छा सुझाव है। रिसर्च पर खर्च होना ही चाहिए। आज तक हमारी स्थिति क्या रही है? हम pharmacy of the world तो बन गए, लेकिन सिर्फ generic medicine में बने। आज दुनिया में सबसे ज्यादा generic medicine हम ही बनाते हैं। अमरीका में 40% generic medicine की सप्लाई भारत से ही होती है। दुनिया में अगर 5 tablets खाई जाती हैं, तो उनमें से 1 tablet भारत में ही बनी हुई generic tablet होती है। Generic medicines की manufacturing तो यहां होती है, लेकिन आज तक यह tradition चला कि दुनिया में बनी हुई branded medicine भारत में बिकती थी, जिनके प्राइस बहुत ज्यादा होते थे। यह tradition क्यों चला यह मुझे नहीं

पता। आज तक भारत में बनी हुई generic medicine को यहां के लोग नहीं खाते थे, क्योंकि इनकी awareness के लिए कोई कार्यक्रम ही नहीं होता था।

यहां से एक बहुत अच्छा सुझाव निकला है। बातचीत में हमारे गुप्ता जी ने कहा कि भारत में generic medicines का प्रचार करना चाहिए, healthcare medicine सस्ती होनी चाहिए। यह अच्छा सुझाव है, जो रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो NIPER है, वह रिसर्च का काम करता है। NIPER को हम यह mandate देते हैं कि आपको API में काम करना है। एक NIPER को हमने mandate दिया है कि आपको medical devices पर काम करना है। NIPER अपने mandate के अनुसार अलग-अलग रिसर्च का काम करता है।

महोदय, हम generic medicine की manufacturing तो करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हमारे अपने ही देश में इस पर रिसर्च भी हो। हमारे अपने देश में पेटेंट हो। जब देश में रिसर्च होगा, तभी पेटेंट भी होगा। जब पेटेंट देश में होगा, तभी हम high cost and patented drugs बना पाएंगे। देश में high valued drugs बनें, यह भी समय की मांग है। NIPER जैसा institute ऐसी रिसर्च में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

5.00 P.M.

देश में अफोर्डेबल मेडिसन मिले, सस्ती मेडिसन मिले, इसलिए जेनेरिक मेडिसन का प्रचार-प्रसार हो, यह भी बहुत आवश्यक है और जेनेरिक मेडिसन का प्रचार-प्रसार करने के लिए यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा कि देश में हमने 8,500 से ज्यादा जनऔषधि स्टोर्स खोले हैं। इन जनऔषधि स्टोर्स पर प्रतिदन 10 से 15 लाख लोग मेडिसन्स लेने के लिए जाते हैं। समय बदला है और बदलते समय के साथ आज कई habit-related diseases भी बढ़ी हैं। होता क्या है कि जैसे बीपी का पेशेन्ट है, उसे परमानेन्ट मेडिसन लेनी पड़ती है, डायबटिक पेशेन्ट है, उसे परमानेन्ट मेडिसन लेनी पड़ती है, कार्डिएक पेशेन्ट है, उसे परमानेन्ट मेडिसन लेनी पड़ती है और यदि कोई कैंसर का पेशेन्ट है, तो उसे भी परमानेन्ट मेडिसन लेनी पड़ती है। जब किसी को परमानेन्ट मेडिसन लेनी होती है, तब उसे सस्ती मेडिसन नहीं मिलती है। उससे अमीर लोगों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गरीब लोगों को जब सस्ती मेडिसन नहीं मिलती है और एक घर से तीन-चार हज़ार रुपये प्रति माह मेडिसन पर खर्च हो जाते हैं, तो उसके बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है, उसके परिवार की स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे लोगों को सस्ती दवाइयां मिलें, इसलिए जनऔषधि स्टोर्स चल रहे हैं।

इसके अलावा एक हज़ार से अधिक मेडिसन्स की सीलिंग प्राइस हमने आज फिक्स करके रखी है, जिनके प्राइस वे नहीं बढ़ा सकते - ऐसी एक हज़ार से अधिक मेडिसन्स हैं।

महोदय, इतना ही नहीं, हैल्थ सैक्टर एक अलग सैक्टर है, उसमें जितनी महंगी मेडिसन्स होती हैं, वे अच्छी होती हैं, ऐसा माना जाता है। यह फोबिया माइंडसेट से निकले, उसके लिए हमने जनऔषधि केन्द्र के माध्यम से अवेयरनेस अभियान चलाया और हमें लगा कि उसमें इंटरवेन्शन करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेन्ट की छाती में पेन होता है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है और जब अस्पताल के अंदर जाते हैं, तो उसका diagnosis होता

है, डॉक्टर साहब बाहर आकर कहते हैं कि उसे stent लगाना पड़ेगा, उसे दिक्कत है। हम कहेंगे कि आप लगाइये, फिर डॉक्टर साहब बाहर आएंगे और कहेंगे कि जर्मनी में बना हुआ एक stent है, उसका प्राइस डेढ़ लाख रुपये है, एक अमरीका में बना हुआ stent है, उसका प्राइस एक लाख पांच हज़ार रुपये है और यह इंडिया में बना हुआ stent है, इसका प्राइस 60 हज़ार रुपये है। भला कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों न हो, वह यही कहेगा कि मेरे स्वजन को अच्छे-से-अच्छा stent लगाओ, तो वह डेढ़ लाख रुपये का लगायेंगे। हमने उसके प्राइस चैक किये कि एक्चुअली उसका प्राइस क्या है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उसे इंडस्ट्री को चलाने के लिए प्रॉफिट भी चाहिए। इंडस्ट्री प्रॉफिट बनाये, हमें उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट रीज़नेबल होना चाहिए। हमने स्टडी किया कि उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका खर्च, उसका प्रॉफिट सबको मिलाकर bare-metal stent की कीमत क्या होती है, तो हमें पता चला कि उसकी कीमत तो बहुत सामान्य है और जब हमने पता किया कि मार्केट में उसे कितने का बेचते हैं, तो पता चला कि 35-40 हज़ार रुपये का बेचते हैं। हमने उसका प्राइस 7,500 रुपये फिक्स कर दिया। आज bare-metal stent जहां भी जाओ, 7,500 रुपये में ही मिलेगा। इसी तरह से drug-eluting stent का प्राइस लाख या डेढ़ लाख रुपये होता था, हमने सारा अभ्यास किया, सभी कम्पनीज़ को बुलाया और कहा कि आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट तो यह है, आप अपना प्रॉफिट जितना भी डबल कर दो, तो भी वह इतने रुपये का ही होगा, लेकिन आप तो लाख-डेढ़ लाख रुपये ले रहे हो। माननीय प्रधान मंत्री जी ने रेड फोर्ट से डिक्लेयर किया और उसका प्राइस 30 हज़ार रुपये के करीब फिक्स हो गया। यह हमारा कमिटमेन्ट है, तब कहीं जाकर लोगों को सस्ती मेडिसिन उपलब्ध होती है, तब गरीबों का कल्याण हो सकता है। भाषण से यदि कल्याण होता तो 'गरीबी हटाओ' का नारा आप लोगों ने दिया था। सवाल यह नहीं है, सवाल है कि कमिटमेन्ट और डेडिकेशन के साथ उसके लिए काम करना। कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करने के लिए हमारी सरकार ने मुहिम चलाई और उसका अच्छा परिणाम मिला।

महोदय, डा. हनुमंतय्या जी ने अच्छा सुझाव दिया कि 6 महीने में एक बार काउंसिल की मीटिंग हो, तो अच्छी है। हम एक वर्ष में दो बार मिलेंगे और यदि आवश्यकता होगी तो उससे ज्यादा बार भी मिलेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से कंसल्टेशन हो, बातचीत हो और बातचीत के आधार पर निर्णय हो तो अच्छा है। इस तरह से इस बिल में हम उसे भी मेन्शन करते हैं। कनकमेदला जी ने जेनेरिक मेडिसिंस की बात की। उसके बारे में मैंने बता दिया। माननीय उपसभापति महोदय, कुल मिला कर इस बिल से NIPER Institutes को मज़बूत करना है, रिसर्च को महत्व देना है। National importance के institutes देश की आवश्यकताओं को पूरा करें, देश की requirements को पूरा करें, वे रिसर्च करें, यह भी हमारे लिए इतना ही आवश्यक है। हमने रिसर्च के लिए कदम उठाये हैं। हम आने वाले दिनों में रिसर्च के लिए एक R&D policy के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में R&D policy के माध्यम से रिसर्च को भी financially support करके, देश में indigenous research हो सके, इस दिशा में भी हमने काम करना शुरू किया है।

महोदय, सम्माननीय सदस्यों ने जो अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, वे ज्यादातर इस बिल में आ ही गयी हैं। आपके और भी कुछ अच्छे सुझाव हैं, वे मैंने नोट किये हैं और जब हम इसके

rules frame करेंगे, तो उसमें भी उनको include कर लेंगे। कुल मिलाकर हम सबों की मंशा है कि देश में अच्छी रिसर्च हो, institutes अच्छी तरह चलें। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कई जगहों पर land है, लेकिन building नहीं बन रही है, तो वह काम भी हम कर रहे हैं, हम building बना रहे हैं। यहाँ एक माननीय सदस्य ने एक अच्छी बात कही कि 2-3 वर्षों के बाद यह दिक्कत भी नहीं होगी। हमारी institutes अच्छी से भी अच्छी तरह से चलें, इस दिशा में आप सबके महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिले हैं, उनको लेकर मैं आगे बढ़ूँगा। मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों से request करता हूँ कि हम सर्वसम्मति से यह Amendment Bill पास करें, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the motion moved by Dr. Mansukh Mandaviya for consideration of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021. The question is:

"That the Bill further to amend the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there are three Amendments; Amendments (Nos.1 to 3) by Shri John Brittas; not present.

Clause 6 was added to the Bill.
Clauses 7 to 28 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 29, there is one Amendment (No.4) by Shri John Brittas; not present.

Clause 29 was added to the Bill.
Clauses 30 to 32 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 33, there is one Amendment (No.5) by Shri John Brittas; are you moving the Amendment? You can only move the Amendment.

SHRI JOHN BRITTAS: I am not moving unless they take back our Members.

Clause 33 was added to the Bill.

Clause 34 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Mansukh Mandaviya to move that the Bill be passed.

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS - *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Special Mentions. Shri Rewati Raman Singh; not present. Shri V. Vijayasai Reddy.

Demand for relaxation in rules for additional Borrowing of 0.5 per cent of Gross State Domestic Product (GSDP) of Andhra Pradesh by the State

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, every State strives to achieve higher growth trajectory and Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, is second to none.

However, since bifurcation, injustice has been done to residuary State of Andhra Pradesh. Most revenue sources have gone to Telangana, and, Andhra Pradesh is still reeling under deficit due to unscientific division. As Fourteenth Finance Commission rightly said, "Andhra Pradesh would remain a deficit State at the end of the award period." Despite these hurdles, our Chief Minister has been able to steer the State, with little help from the Centre, towards welfare through *Navaratnalu*, the State's nine flagship schemes focussing on welfare and development. Recently, the Finance Minister allowed seven States to additionally borrow 0.5 per cent of GSDP since they completed 45 per cent of Capex in first half of current fiscal. This